सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–7 (भाग–01)	वीरवार, 05 अप्रैल, 2018 / 15 चैत्र, 1940 (शक)	अंक–78
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–10
3.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	10–35
4.	माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा वक्तव्य	36–54
5.	माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा	54–85
7.	माननीय उपराज्यपाल के कार्यालय से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा जारी...	85–105

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) वीरवार, 05 अप्रैल, 2018 / 15 चैत्र, 1940 (शक) अंक–78

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री महेन्द्र गोयल
6. श्री सुखवीर सिंह दलाल
7. श्री ऋतुराज गोविन्द
8. श्री संदीप कुमार
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री सोमदत्त
13. सुश्री अलका लाम्बा
14. श्री आसिम अहमद खान
15. श्री विशेष रवि
16. श्री हजारी लाल चौहान
17. श्री गिरीश सोनी
18. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

19. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
20. श्री राजेश ऋषि
21. श्री आदर्श शास्त्री
22. श्री सुरेन्द्र सिंह
23. श्री विजेन्द्र गर्ग
24. श्री मदन लाल
25. श्री सोमनाथ भारती
26. श्रीमती प्रोमिला टोकस
27. श्री नरेश यादव
28. श्री करतार सिंह तंवर
29. श्री प्रकाश
30. श्री अजय दत्त
31. श्री दिनेश मोहनिया
32. श्री सौरभ भारद्वाज
33. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
34. श्री सही राम
35. श्री नारायण दत्त शर्मा
36. श्री अमानतुल्लाह खान
37. श्री राजू धिंगान
38. श्री मनोज कुमार
39. श्री नितिन त्यागी
40. श्री ओमप्रकाश शर्मा
41. श्री एस.के. बग्गा
42. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
43. श्रीमती सरिता सिंह
44. मो. इशराक
45. श्री श्रीदत्त शर्मा
46. चौ. फतेह सिंह
47. श्री जगदीश प्रधान
48. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–7 (भाग–01) वीरवार, 05 अप्रैल, 2018/15 चैत्र, 1940 (शक) अंक–78

सदन अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

माननीय अध्यक्षः नमस्कार, नमस्कार।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

(श्री कपिल मिश्रा, माननीय सदस्य, अध्यक्ष के आसन के समीप आये।)

श्री कपिल मिश्राः सर ये एजेन्डा में तो हटाना होगा। दिल्ली में तो कोई दंगा–फसाद नहीं हुआ है।

माननीय अध्यक्षः आप वहाँ बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, वहाँ बैठिए। प्लीज। आपको मालूम है?

श्री कपिल मिश्राः विधान सभा के इतिहास में चला जाएगा ये।

माननीय अध्यक्षः आपको मालूम है ये बात?

श्री कपिल मिश्राः हाँ, सबको मालूम है। कहाँ हुआ बताइए?

माननीय अध्यक्षः मेरे अपने विश्वकर्मा नगर में। विश्वकर्मा नगर मस्जिद के सामने। नंगी तलवारे लटकाये।

श्री कपिल मिश्राः क्या हुआ, एफआईआर हुए? कोई मुकदमा हुआ?

माननीय अध्यक्षः रोज हो रहे हैं। अपनी सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः विधान सभा के रिकॉर्ड में चला जाएगा।

माननीय अध्यक्षः हाँ, चला जाने दो। कपिल जी, मैं आपसे कह रहा हूँ नीचे खड़े हो जाइए। एक तो नीचे खड़े होके बात करिए। आप नीचे खड़े होके बात करिए। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ नीचे खड़े होके बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ नीचे खड़े होके बात करो।

श्री कपिल मिश्राः रामनवमी के खिलाफ कैसे...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपसे कह रहा हूँ नीचे खड़े होके बात करें। नीचे खड़े होके बात करें।

श्री कपिल मिश्राः क्यों नीचे खड़े होके बात करूँ?

माननीय अध्यक्षः नीचे खड़े होके बात करिए।

श्री कपिल मिश्राः ये राम नवमी है। आपके नाम में राम लिखा है। आप रामनवमी के खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हो। कहाँ दंगा–फसाद हुआ है, दिल्ली में कहाँ हुआ है?

माननीय अध्यक्षः मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपनी सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः इस एजेन्डे को हटाना होगा।

माननीय अध्यक्षः मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः मैं हाथ जोड़के कह रहा हूँ, इसे एजेन्डा से हटाइए।

माननीय अध्यक्षः मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, आप सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्षः आप सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः ये एजेन्डा से हटाइए।

माननीय अध्यक्षः ये एजेन्डे से नहीं हटेगा, आपको बोल दिया मैंने। सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः क्यों नहीं हटेगा?

माननीय अध्यक्षः आप सीट पर जाइए।

श्री कपिल मिश्राः नहीं हुआ, क्या है ऐसा? रामनवमी के नाम पर क्या हो गया?

माननीय अध्यक्षः राम नवमी के नाम पर क्या हो गया है।

श्री कपिल मिश्राः ये कोई राशन के चोरी पर चर्चा करो न विधान सभा के अन्दर।

माननीय अध्यक्षः हाँ, चर्चा होगी। सब होगी।

श्री कपिल मिश्राः ये एजेन्डा से हटाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्षः वहाँ बैठिए आप। मैं आपसे बोल रहा हूँ, वहाँ बैठिए आप। मार्शल्स, ले जाएं बाहर। ... (व्यवधान) ले जाइए इसको। ये गुण्डागर्दी नहीं चलेगी।

... (व्यवधान)

(मार्शल्स द्वारा बलपूर्वक माननीय सदस्य कपिल मिश्रा को सदन से बाहर किया गया।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं स्टेटमेन्ट दे रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मेरी बात सुनिए ओमप्रकाश जी, मेरी विधान सभा में मस्जिद के सामने आधे घंटा नंगी तलवार लेकर के गुण्डागर्दी हुई है। रोज थाने में मीटिंग हो रही है, रोज थाने में मीटिंग हो रही है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप विवेक विहार थाने में चले जाइए। पूछ लीजिए हुआ कि नहीं हुआ। कल भी मीटिंग हुई है विवेक विहार थाने में।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आप जाके देखिए, वहाँ हुई है, नहीं हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः आइये, आप आइये। जो मर्जी आए, करिए।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने वेल में आकर शोर–शराबा किया।)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य बैठेंगे। मैं झा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। किधर जा रहे हैं आप? अखिलेश जी, कुछ तरीका करिए भाई। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, सीट पर जाइए प्लीज। सीट पर जाइए।

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य सदन के वेल में आए)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः कृपया बैठिए, सीटों पर बैठिए। प्लीज सीटों पर बैठिए। माननीय सदस्यगण, झा साहब, एक बार... मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप बैठिए। झा साहब, सीट पर जाइए। राजेश जी, सीट पर जाइए। प्लीज। झा साहब, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सिक्खों के नौवें गुरू गुरू तेग बहादुर जी का 357 वाँ जन्मदिवस है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः झा साहब, बैठिए प्लीज।

माननीय सदस्यगण, आज सिक्खों के नौवें गुरु श्री तेगबहादुर जी का 397वाँ जन्म दिवस है।

... (व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्यों का विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्षः ऋतुराज जी, बैठिए प्लीज। आज बड़े हर्ष का विषय है सिक्खों के नौवें गुरु श्री तेगबहादुर जी का 397वाँ जन्म दिवस है। विश्व इतिहास में धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए उनका बलिदान अमर है। केवल 14 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु हरगोविंद जी के साथ मुगलों के हमलों के खिलाफ युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया था। उनकी वीरता से प्रभावित होकर ही उनका नाम त्यागमल से तेगबहादुर अर्थात् तलवार के धनी रखा गया। अपने धर्म और आदर्शों की रक्षा के लिए औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। धर्म के रक्षक के रूप में उनके बलिदान को यह देश भूल नहीं सकता। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि देश में धार्मिक आज़ादी का मार्ग भी प्रशस्त किया। वास्तव में वे सच्चे राष्ट्रवादी थे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उनके सिद्धांतों से हम निरंतर प्रेरणा लेते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, आज बाबू जगजीवन राम जी की भी जयंती है। वे राष्ट्रीय नेता, महान् स्वतंत्रता सेनानी, गरीब तथा पिछड़े वर्गों के मसीहा, श्रेष्ठ सांसद, सच्चे लोकतंत्रवादी थे। उन्होंने लगभग पाँच दशक तक भारतीय राजनीति में प्रतिबद्धता और समर्पण भाव से कार्य किया तथा विभिन्न सरकारों में मंत्री रहते हुए हमेशा जनहित को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। पिछड़े वर्गों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए वे बाबू जी के नाम से लोकप्रिय हुए। वे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे।

मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें सादर नमन करता हूँ। आशा है, हम उनके विचारों से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता की तरफ अग्रसर होंगे जिसकी आज के समय में सर्वाधिक जरूरत है।

अभी विपक्ष के नेताओं ने जिस विषय पर वॉक आउट किया है, सदन के रिकॉर्ड में ले लीजिएगा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी अपनी विधान सभा में रामनवमी के दिन विश्वकर्मा नगर में मस्जिद के सामने नंगी तलवारें लेते हुए कम से कम 15 मिनट तक ऑब्जेक्शनेबल सीडी चलाई गई, थाने में रिपोर्ट की गई। थाने ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। कल भी वीडियोग्राफी है, कल भी लोगों को थाने बुलाया गया। पुलिस यह दबाव डाल रही है कि एफआईआर न करवाएं लेकिन सदन निरंतर चल रहा है, मैं थाने में नहीं जा सका हूँ। मैं इस विषय को लेकर थाने में... हालांकि प्रोटोकॉल नहीं है मेरा जाने का, फिर भी मैं इस विषय को लेकर, मैंने तय किया हुआ है कि मैं थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाऊँगा। कई सदस्यों ने मुझे कहा कि उस दिन हमारे घरों के सामने, हमारी विधान सभाओं में मस्जिदों के सामने इस ढंग का गड़बड़ हुआ है, इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। जिन–जिन माननीय सदस्यों के यहाँ ऐसा हुआ है, वो कृपया मुझे लिखकर दें। मैं पुलिस कमिश्नर को, उनकी कॉपी लगाकर अपने लैटर पैड पर लिखकर भेजता हूँ कि जो–जो सब कुछ हुआ है, अगर उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी है तो उसकी भी हार्ड कॉपी या जो भी सिस्टम से आप भेज सकते हैं, वो भेजने की कृपा करें।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, इसके साथ दिल्ली गेट से दरियागंज, जामा मस्जिद भी जोड़ लीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब यह...

... (व्यवधान)

सुश्री अलका लाम्बाः मेरे पास सबूत और तस्वीरें है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः हाँ, वो दीजिएगा, मुझे लिखित में दीजिएगा। अभी चर्चा होगी तब बात करेंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः यहाँ पर भी अगर...

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः सर, उसमें निवेदन यह है कि...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः अब इसको रवि जी चर्चा में, जब चर्चा में लगा हुआ है तब चर्चा में लेंगे।

श्री ऋतुराज गोविंदः अध्यक्ष जी, सबसे पहले चर्चा इस पर हो।

... (व्यवधान)

विशेष उल्लेख (नियम–280)

माननीय अध्यक्षः नहीं, इस पर नहीं हो रही पहले। श्रीमती बंदना कुमारी जी, 280 (अनुपस्थित)। जरनैल सिंह जी, 280।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका और इस सदन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 9वें गुरु श्री गुरु तेगबहादुर साहब जी के प्रकाश पर्व पर सारे सदन को बधाई दी।

अध्यक्ष जी, नियम 280 के अंदर आज मैं जो दिल्ली के रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स की डिलिमिटेशन हुई, उससे जुड़ी जो दिक्कत आ रही है, वो

आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ साल पहले सभी जिलों की डिलिमिटेशन हुई थी। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जो तिलक नगर को वेस्ट दिल्ली का हिस्सा माना जाता है, उसके आधे हिस्से को साउथ–वेस्ट दिल्ली में डाल दिया गया है। जो काम लोगों के पहले घर से कुछ दूरी पर हो जाते थे, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट साथ होने की वजह से, उन लोगों को अब कई किलोमीटर दूर कापसहेड़ा जाना पड़ता है मतलब विकासपुरी से जो काम पहले राजा गार्डन और रामपुरा हो जाते थे, उन कामों के लिए अब लगभग 25 किलोमीटर दूर कापसहेड़ा जाना पड़ता है। मेरा मानना है कि सरकार का काम सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाना है, कोई चीज अगर घर से दूर है तो उसको पास लाकर देना है, लोगों के घरों के नजदीक लाकर देना है। पर इस डिलिमिटेशन के वक्त भी इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठे थे कि तिलक नगर को वेस्ट दिल्ली में ही रहना चाहिए, इसको साउथ–वेस्ट में नहीं डालना चाहिए। पर उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए तिलक नगर के आस–पास... मेरे कई साथी भी इन चीजों से सहमत हैं कि डिलिमिटेशन में कई तरीके की लापरवाहियाँ बरती गई हैं। यह मैटर मैंने पिछले साल सीएम साहब की नॉलिज में भी डाला था और मैंने चिट्ठी भी लिखी थी रेवेन्यू में, पर होता क्या है कि चिट्ठी लिखने के बाद एक रिप्लाई आता है 'द मैटर हेज बीन फॉरवर्डेड टू कंसर्ड डिपार्टमेंट।' इसके बाद वो चैप्टर खत्म हो जाता है। लगभग सातवें महीने में मेरे को ऐसे ही रिप्लाई आया था। अब दोबारा से सातवाँ महीना आने लगा है, पर इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही और हर रोज सैकड़ों हजारों लोगों को अपने घर से काफी दूर तक जाना पड़ता है। सिर्फ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटिड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी लोग हैं, काफी दूर अपने घरों से जाकर हर दिन परेशान हो रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम

से इस सदन से यह विनती है कि जो भी कंसर्ड डिपार्टमेंट है, उनको जल्दी से जल्दी इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं, धन्यवाद।

श्री राजेश ऋषिः सर, हमारे साथ भी ऐसा है। हमारी आधी जनकपुरी दो जगह बंटी हुई है। हम भी चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा भी किया जाए। आधी कापसहेड़ा में है और आधी विधान सभा में है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः यानी एक विधान सभा दो डिस्ट्रिक्ट में है?

श्री राजेश ऋषिः हां।

... (व्यवधान)

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः सर, मेरे यहाँ तीन हैं।

... (व्यवधान)

श्री जगदीप सिंहः सर, यही प्रॉब्लम हरिनगर के साथ भी है। ये छेड़खानी पता नहीं क्यों की गई है।

... (व्यवधान)

श्री जरनैल सिंहः जो रजिस्ट्री...

... (व्यवधान)

चौ. फतेह सिंहः दो एसडीएम...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः एसडीएम होना अलग बात है। देखिए, फतेह सिंह जी, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, एसडीएम कम–बेशी हो सकते हैं

लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। जिन विधायकों की विधान सभा एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में है, वो अलग से एक बार लिख कर दे दें मुझे। मैं देखता हूँ।

श्री राजेश ऋषिः सर, मेरे दो वार्ड एक में है, दो वार्ड एक में है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भावना गौड़ जी (अनुपस्थित)। अनिल कुमार बाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार बाजपेयीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से माननीय कैलाश गहलौत जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज से कम से कम 25 वर्ष पूर्व बस नंबर 203 जो कृष्णा नगर से कोड़िया पुल की ओर चला करती थी और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की एक बहुत बड़ी माँग थी, तो उसको बढ़ाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी होते हुए आदर्श नगर तक कर दिया गया था और अचानक यह बस बंद कर दी गई। पहले भी इस बस को चलाने के काफी प्रयास किए गए। कई लोगों ने कहा कि इसमें रेवेन्यू है तो हमने उनसे यह कहा कि रेवेन्यू अगर कम है तो आप एक महीने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर आप चला दीजिए और उससे कृष्णा नगर विधान सभा... बग्गा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, कृष्णा नगर विधान सभा, गाँधी नगर विधान सभा प्लस आईएसबीटी और कोड़िया पुल होते हुए वो बस फतेहपुरी मस्जिद के आस–पास के एरिया से होकर जाती थी। एक बड़ा रेवेन्यू उसको मिलता था।

मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि उसको चालू करा दिया जाए।

एक सर, गाँधी नगर एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की बड़ी मार्केट है और एक लाख से अधिक लोग वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। ज्यादातर जो लोग काम करने के लिए आते हैं, वो सीलमपुर विधान सभा के लोग हैं, बाबरपुर विधान सभा के लोग हैं, करावल नगर विधान सभा के लोग हैं और मुस्तफाबाद और लोनी बार्डर तक के लोग आते हैं यूपी तक के लोग हैं और कोई सीधी बस नहीं है। अगर झील चौक से एक नई बस वहाँ के लिए चालू कर दी जाए, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा रेवेन्यू... और एक महीने के ट्रॉयल बेसेज पर चला लीजिए, इन दोनों रूटों पर अगर एक महीने में रेवेन्यू कम मिले तो उसको बंद कर दीजिएगा और अगर रेवेन्यू और रूटों से अच्छा मिले तो मैं समझता हूँ, उसको आप चालू करा दीजिएगा ये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है ये और ये पुण्य का काम है सर, आई विल बी पर्सनली ग्रेटफुल टु यू।

माननीय अध्यक्षः ओम प्रकाश शर्मा अनुपस्थित, श्री पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही सघन आबादी के बीच और बहुत कमर्शियल इलाके के बीच डीटीसी के डिपो हैं। एक बीबीएम डिपो है और एक क्लस्टर बसों का डिपो है। प्रसंग यहाँ ये है माननीय महोदय, कि वहाँ एक अखाड़ा चला करता था। एक रेसलिंग का सेंटर चला करता था। डीटीसी की देखरेख में था, व्यायामशाला थी। बहुत लंबे समय से बीच बीच में ऐसी गतिविधि होती रहती हैं कि वो अधिकारियों को कुछ सुहाता नहीं है। जो डीटीसी के अधिकारी

हैं, उसको बंद करने की पहले भी कोशिश करते रहे हैं और वही कोशिश अभी कुछ दिन पहले भी सामने आई है, वो एकतरफा तरीके से न उसमे कोई स्थानीय विधायक की कोई राय ली गई, न वहाँ पर जो डीटीसी की उस अखाड़े में डीटीसी के ही कर्मचारी जो लाभ ले रहे थे कि एक खेल हमारे सरकार की बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, खेल के माध्यम से सेहतमंद बनाना चाहते हैं जो बहुत कम जगह हमारी दिल्ली में दिल्ली सरकार के माध्यम से उपलब्ध हैं। उनमें से एक डीटीसी के इस डिपो के पास का अखाड़ा था जिसको नष्ट करने की कोशिश न जाने किन कारणों से होती रही है। तो ये कितना संवेदनशील मामला है। मुझसे माननीय विधायक सुखवीर सिंह दलाल साहब भी मिले, उनके भी परिचित लोग वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तक वहाँ से निकले हैं। तो बहुत ही ठोस मेरा अनुरोध ये है और माननीय परिवहन मंत्री महोदय अगर इसका संज्ञान लेकर अभी कुछ आश्वासन भी दे सकें तो बड़ी कृपा होगी कि न केवल उस डीटीसी के देखरेख में चलने वाले डीटीसी के डिपो के स्पेस के अंदर चलने वाले उस अखाड़े को बने रहने दिया जाए। मैं आग्रह यह करूंगा कि उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक रेसलिंग सेंटर, जिम्नेजियम सेंटर, जिम्नास्टिक के और स्पोर्टस के सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाए।

अध्यक्ष्य महोदय, मैं बताऊँगा, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी हमारे क्षेत्र की पीड़ा में भागीदार रहे कि इतनी अत्यधिक आबादी के क्षेत्र में वो डिपो हैं, वहाँ से बसें बहुत ऊल–जलूल तरीके से आती जाती हैं। हमने अपने इलाके का एक 17 साल का बहुत होनहार नौजवान यश कपूर जो है, वहाँ एक दुर्घटना में खोया। आपका आभार है कि उसकी अंत्येष्ठी में आप स्वयं शामिल हुए। बहुत सारे हमारे माननीय

सदस्य शामिल हुए। इस पीड़ादायी स्थिति को देखते हुए हमने निवेदन किया माननीय परिवहन मंत्री से कि इतनी घनी आबादी के बीच, इतनी घनी वाणिज्यक क्षेत्र के बीच असल में वो डिपो नहीं होने चाहिए डिपो हम किसी दूरस्थ क्षेत्र में कहीं ऐसी जगह जहाँ अपेक्षाकृत सस्ती जमीने हैं, अपेक्षाकृत खुले का इलाका है, वहाँ पर भी विकास हो। हमारे इलाके में वो डिपो नहीं होना चाहिए, यही आग्रह है और वहाँ जो खेल की सुविधाएं हैं, डीटीसी उसका कैसे जन उपयोगी उपयोगी कर सकती है। खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ जगह बने, उसमें और आवासीय सुविधाएं हों, ये मेरी प्रार्थना है। परिवहन मंत्री महोदय इसका संज्ञान लेकर सुनिश्चित कर सकें, आश्वासन दे सकें तो मैं अपने क्षेत्र के... वहाँ पर हम चाहते ये हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें। दो लाख नौजवान हर रोज उस क्षेत्र में माननीय महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय का अड्डा होने की वजह से आता है, जाता है, उसको भी लाभ मिलेगा। माननीय परिवहन मंत्री महोदय अगर आपके अनुरोध से संज्ञान ले सकें तो बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री रामचन्द्र जी।

श्री सुखबीर सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, देहात से अच्छे स्पोर्ट्समैन क्यों निकलते हैं और इनके कोच बेकार घूम रहे हैं, डीटीसी के जो स्पोर्ट्स बेस पर भर्ती की गई है, वो आदमी बिल्कुल निट्ठले हो गए हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको थोड़ा संज्ञान में लें या हमारी सरकार स्पोर्ट्स को ध्यान दे रही है तो इसमें कुछ नहीं लगता। हमारा अखाड़ा बना हुआ हैं वहाँ पर।

श्री पंकज पुष्करः माननीय मंत्री महोदय अगर उसको संज्ञान में ले लें।

माननीय अध्यक्षः नहीं, उनको देना होता वो दे देते, अभी वो कुछ कहने में...

श्री रामचन्द्रः अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु से दुआ करता हूँ कि इसी तरह से हमारी दिल्ली सरकार काम करती रहे बढ़िया, दिल्ली के अंदर ताकि पूरे देश के अंदर संदेश जा रहा है कि दिल्ली! दिल्ली! दिल्ली जैसा होना चाहिए।

तो अध्यक्ष महोदय जी, हमारी विधानसभा में एक कुछ समस्याएं हैं, उसके विषय में हम आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ गाँव देहात में बढ़ती हुई आबादी जो लालडोरा से बाहर आती है, उन्हें सारी सुविधाएं मिलने में दिक्कत आ रही है जैसे पानी, सीवर, गलियाँ निर्माण करते हैं तो यूडी से नक्शा पास नहीं है और अध्यक्ष जी, इस कारण हर दिल्ली के गाँव गाँव में ये समस्या है। लोग इन चीजों से वंचित हैं और ये दिल्ली सरकार से वो प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी सुविधाएं बहुत जल्द दिलाई जाएं।

अध्यक्ष जी, एक समस्या बहुत गंभीर है कि जिस जिस गांव में हम जाते हैं, उन गाँवों में हमारे सम्मानीय बड़े बुजुर्ग, माताएं, भाई खड़े हो जाते हैं कि रामचन्द्र। पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने इस पर गौर नहीं किया जो कि हाईटेंशन... हाईटेंशन पूरे विधानसभा को नहीं पूरी, दिल्ली को टेंशन दे रखी है अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी, मुझे भी हाईटेंशन की बहुत भारी टेंशन है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मंत्री जी से कि इस पर बहुत जल्दी से जल्दी गौर किया जाए और इसको सही कराया जाए। कई गांवों में बड़े बुजुर्गों ने मुझे दिखाया कि रामचन्द्र, बेटा देख कुछ तो यहीं ढ़ेर हो गए और किसी भाई बड़े बुजुर्ग का हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं। आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हाईटेंशन के लिए कोई पॉलिसी ली जाए ताकि इससे लोगों को गाँव देहात या कालोनियों को दिल्ली से... दिल्ली के लोगों को निजात मिल सके। तो अध्यक्ष जी, और

हमारे बवाना विधानसभा में शाहबाद डेयरी, महादेव चौक, पूछ खुर्द बवाना, पूठ में भीष्ण जाम होता है, बहुत भारी जाम जिसके कारण हमारे बेटा बेटी समय से स्कूल नहीं जा पाते और जो भाई बहन ड्यूटी जाते हैं, वो भी लेट हो जाते हैं। तो इस पर भी कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को सही तरह से टाइम से उनके बच्चे जा सकें और समय से वो अपनी ड्यूटी पर जा सकें। तो अध्यक्ष जी, ज्यादा न कहकर के ये पूरी दिल्ली की समस्याएं हैं मुझे इससे संबंधित जो भी मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़कर के कहना चाहूँगा कि भईया इस पर गौर करें। अध्यक्ष जी, आप भी ध्यान दें, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सुखवीर सिंह दलालः यूडी मंत्रालय में 243 गांवों के आलरेडी कांग्रेस की सरकार में 2008 में नक्शे जमा कराए गए थे। जब मैंने ये बात उठाई तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इसको सेकेंड फेज में लेंगे जैसे अनऑथराइज कालोनियों का किया है लेकिन आज तक उन नक्शों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है जो कि 2008 से सभी गांवों के जो ये लालडोरे की बात कर रहे हैं, उसके नक्शे आलरेडी यूडी में जमा हुए हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए, श्री सोनी जी।

श्री गिरीश सोनीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने का 280 के तहत मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में एक वार्ड है, राजा गार्डन। यहाँ डीडीए द्वारा जे जे फ्लैट्स बनाए गए थे छोटे फ्लैट जो झुग्गी झोपड़ी वालों को जो बाद में स्लम के अधीन आ गए थे जिसमें से 1080 फ्लैट्स जो हैं, भगत सिंह कालोनी के नाम से जिसमें 1984 के दंगा पीड़ित भी रहते हैं। 256 फ्लैट्स भी हैं, वहाँ ऐसे ही और 1000 जेजे टेनमेंट्स हैं। इसमें क्या

है कि जब मैंने विभाग से इसके विषय में जानकारी ली तो वो उसमें ये था कि ये किसी के नाम रजिस्ट्री तो थी नहीं, क्योंकि उनको हैंड ओवर किए नहीं गए फ्लैट्स। तो इनका मालिकाना हक आज भी स्लम विभाग के पास है और 1080 फ्लैट्स, वो वहाँ जो उनके 40 साल पुराने फ्लैट्स हैं, जर्जर हालत में हो गए हैं। तो वहाँ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो पीछे एक 1984 के फ्लैट्स में रिपेयर करने का मामला जब आया था तो मैंने विभाग को लिखा कि भई ये पूरे के पूरे फ्लैट्स खराब हैं तो इन पूरे फ्लैट्स के जो जीने हैं और इनके जो बाकी का एरिया है, उसे रिपेयर किया जाए क्योंकि बहुत बहुत मोटी परतें वहाँ से निकलकर कई बार गिरती हैं और लोगों को... वहाँ से लोग घायल भी हो जाते हैं तो उन्होंने जब इसकी डिमांड की तो उनको ये मान लिया गया, 1080 फ्लैट्स को हमने उनको 1040 फ्लैट्स से वो विभाग द्वारा रिपेयरिंग के लिए लगा दिए गये। इसी तरह 256 फ्लैट्स और थे उनको भी वहाँ विभाग द्वारा रिपेयर किया गया लेकिन 1000 हजार फ्लैट जो जेजे टेनामेंट्स हैं, विभाग ने ये कह दिया कि ये जेजेआर के अण्डर आते हैं। जेजेआर ने इनकी मेंनटेनेंस एमसीडी को दे रखी है। इस लिए हम इसको नहीं कर सकते। क्योंकि एमसीडी को दे दिया है। अगर एमसीडी को दे दिया है तो एमसीडी का हाल तो दिल्ली में आपको मालूम ही है। एमसीडी अपने काम ही नहीं कर पाती तो हैंड ओवर किए गए उसका काम एक हजार फ्लैटस का कैसे करेगी। तो यह बहुत बडी दिक्कत है। हम लोग... जब एमसीडी इसको नहीं कर पाती है तो मेरा मानना ये है कि जेजेआर के अंडर आते हैं, उनको वापिस लेकर उन फ्लेटों की मेंनटेनेंस का काम विभाग द्वारा कराया जाए क्योंकि मैं इन फ्लेटस की हालत को जो देखकर आया हूँ, वो कभी भी कहीं भी कुछ गिर कर हादसा हो सकता है। क्योंकि कॉमन स्पेस है, कॉमन रास्ता है वो जीना जो लोग चढ़ते हैं, उसके ऊपर तो सब मिलकर कहते

है कि हम क्यों कराएं, हम क्यों कराए और जब ये फ्लेटस किसी के नाम ही नहीं हैं। जब उनकी रजिस्ट्री ही नहीं हुई, उनको मालिकाना हक ही नहीं मिला तो आज वो स्लम के पास है। मैं स्लम विभाग से ये चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये कह रहे हैं तो पूरी दिल्ली में ऐसी समस्याएं इस तरह के फ्लैटों में हैं तो वो स्लम विभाग इसको संज्ञान में लेते हुए उसका मेनटेनेस कराए। क्योंकि ये लोगों का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जब हादसे होंगे तो मैं समझता हूँ कि वो एमसीडी अपना पल्ला जैसे झाड़ती रहती है, फिर वो झाड़ कर एक साइड खड़ी हो जाएगी कि ये तो जेजेआर के फ्लेट्स हैं, हमारे नहीं है। मैनटेंनेंस उनके पास है। तो इस झगड़े में न पडते हुए, मैं यह चाहूँगा कि विभाग इस पर संज्ञान में लेते हुए और उस पर कार्रवाई करे, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः श्री सुखवीर सिंह दलाल जी।

श्री सुखवीर सिंह दलालः अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि मुझे 280 में बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, कुछ वर्षों पहले बाहरी दिल्ली का वातावरण अंदरूनी दिल्ली के मुकाबले बहुत ठीक था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से मेरे क्षेत्र में ये प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों का पूरा प्रकोप हो गया है। और मुंडका विधान सभा में इतनी बडी संख्या में अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जिनके कारण वहाँ जीना दूभर हो गया है।

अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हिरणकूदना से मुंडका तक काले तेल की फैक्ट्रियाँ हैं जो पूरी रात तेल जलाती हैं; काला तेल। उससे इतना पॉल्यूशन फैलता है कि वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया है। रात भर आदमियों को नींद नहीं आती। दूसरा, प्लास्टिक का कारोबार अवैध

रूप से चलता हैं वहाँ पर। जो सरकारी जमीन पर भी कब्जा करके, वो प्लास्टिक का काम करते हैं। इसी तरह सें वहाँ कैमिकल की भी फक्टरियाँ बहुत हैं जिनमें दो तीन बार तो इसी महीने में आग लग चुकी है। जो एक बहुत बडा हादसा हुआ, इसमें सिर्फ कैजुअल्टी नहीं हुई, बाकी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, परन्तु इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया।

इसी तरह मेरे यहाँ आरएमसी के अवैध प्लांट चलते हैं। उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि वो पॉल्यूशन वालों को बुलाकर एक बार एक मीटिंग लें जिससे इस इलाके का थोडा सा उद्धार हो, इसके साथ धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। श्री अखिलेशपति त्रिपाठी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आज 280 के अन्तर्गत मेरी विधान सभा का मुद्दा उठाने का मौका दिया आपने।

ये मुद्दा मैं दूसरी बार इस सदन के सामने ला रहा हूँ और मुझे कहने में खेद हो रहा है कि पहली बार जब ये संज्ञान में लाया गया, उसके बाद भी अधिकारियें को जो प्रेषित किया गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा बराबर हो भी रहा है कि मुद्दे उठाए जा रहे हैं और एक खानापूर्ति की तरह इसको लिया जा रहा है। तो इस पर भी सदन एक बार संज्ञान जरूर ले।

मेरे विधान सभा के अन्तर्गत नजफगढ ड्रेन होकर गुजरता है। ये नजफगढ ड्रेन एक साफ सुथरा हेाता था। बरसात के मौसम में जो पानी निकलता था, उसको एक यमुना से जोड़ने का काम किया करता था। आज कल ये नजफगढ ड्रेन तेजाबी ड्रेन के रूप में प्रसिद्ध हो गया है और इतनी बदबू आसपास होती है कि आसपास के लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो

गया है। हमारे क्षेत्र में ये जो नजफगढ ड्रेन से गुजर रहा है, वो मुख्यतः शक्ति नगर, रूप नगर, राजपुरा गाँव, डेसू कालोनी, महावीर जैन कालोनी के बीच से होकर गुजरता है। हालत ये है अध्यक्ष जी, कि शाम को चार बजते–बजते इतनी बदबू हो जाती है कि रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं, कि कहाँ पहुँच गए हैं। किस नारकीय जगह पर पहुँच गए हैं। और ये जो कालोनियों का मैंने नाम लिया है; शक्ति नगर, रूप नगर, कमला नगर कालोनी, महावीर जैन कालोनी, ये दिल्ली के बहुत ही अपने आप में प्रसिद्ध कालोनियों के रिहायशी कालोनियों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। आज इस दुर्गंध की वजह से हालत यह है कि हर छः महीने में लोगों का एसी खराब हो जाता है, एलईडी खराब हो जाता है। सारे इलैक्ट्रोनिक सामान खराब हो जाते हैं। जब ये हालत इलैक्ट्रॉनिक्स और मशीनों पर इतना बुरा हाल है उन गैसों का, तो ये बताइए, मानवीय शरीर पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा वहाँ पर। इतना ही नहीं, वहाँ पर पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट है, जो पूरी दुनिया में श्वास रोग के लिए और चेस्ट रोग के लिए सबसे बडा अनुसंधान का केन्द्र भी है। उसने एक रिपोर्ट दिया है कि इस नाले के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर नाले के किनारे रहने वाले लोग, जो कालोनियाँ हैं, आज हालत ये है कि उनमें बीमारी, जो साँस की बीमारी पाई जाती है, वह अन्य जगहों से 50 से 60 परसेंट ज्यादा पाई जा रही है और ये नाला केवल हमारे यहाँ से नहीं गुजरता है बल्कि बगल के तिमारपुर विधान सभा से भी गुजर रहा है। आगे मेरे ख्याल से सदर विधान सभा, वजीरपुर विधान सभा से होकर के गुजर रहा है। अभी तक इस पर मेरे ख्याल से 10–15 सालों में कोई सफाई का काम इस नाले का नहीं किया गया, एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण, इसमें दुर्गंध का सीधा का सीधा वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया का सारा का सारा तेजाबी पानी लाकर के सीधे इस नाले में डाल दिया गया, जिसकी वजह

से ये बदबू और बढ़ गई है। तो मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि आज सरकार हमारी खूब काम कर रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, तो मेरा गुजारिश है सदन से कि मेरे क्षेत्र के लोगों की जिंदगी बहुत खतरे में है। लोग बहुत परेशान हैं। आज सदन इस पर गौर करे और तत्काल जो भी सम्बन्धित विभाग है सिंचाई विभाग, उससे और पर्यावरण विभाग दोनों के ये सूचित करे कि अपने अपने तरीके से कार्रवाई करके इसकी दुर्गंध को दूर किया जा सके। ऐसा कोई कार्रवाई करे। और एक चीज और, जैसे बारापुला नाले को ढक दिया गया, वहाँ के लोग सुखी हो गए। ऐसा कोई स्कीम यहाँ पर पीछे बना हुआ था लेकिन वह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। उसको भी अगर पूरा कर दिया जाए तो मैं बहुत आभारी हूँगा पूरे सदन का, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आपने मौका दिया मुझे।

माननीय अध्यक्षः श्री नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे मेरे क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में चर्च कालोनी है महरौली में, जो काफी पुरानी है। सेंट जॉन चर्च के नाम से यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक चर्च भी है। ये कालोनी अध्यक्ष जी, काफी सालों से बसी हुई है। अभी दो चार दिन पहले अध्यक्ष जी, यहाँ पर एसडीएम के थ्रू कुछ नेाटिसिज चिपकाए गए हैं मकानों के ऊपर। और उसमें लगभग आधी से ज्यादा कालोनी को तोडने के आदेश दिए हैं। जब कि ये कॉलोनी पिछले काफी सालों से यहाँ बनी हुई है। और 29/9/2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी इस कालोनी का नाम सीरियल नम्बर 05 पर और रजिस्ट्रेशन नं0 10 पर सेंट जॉन कालोनी महरौली के नाम से। 332 कालोनी में रोड डेवलपमेंट

की लिस्ट में ये था। तो अध्यक्ष जी, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया है इसमें हवाला दिया गया है, मॉनिटरिंग कमेटी की तरफ से कोई लैटर आया है डीटीएफ को साउथ डिस्ट्रिक्ट को। उसके आधार पर ये बोल रहे है कि जो महरौली में जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, उसमें आसपास 200 मीटर में जितनी भी कॉलोनी है, उसको हम तोड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, वहाँ आकिर्योलॉजिकल पार्क के साथ में लगभग आधी महरौली बसी हुई है। इसमें चर्च कालोनी है, बाकायदा फर्द भी मैं यहाँ लेकर आया हूँ। 1999 और 2000 की फर्द में बिल्कुल क्लीयर कट लिखा हुआ है; चर्च है, वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर मन्दिर है। कुछ एरिया खाली है। सारी की सारी पूरी इनके पास में पूरे प्रूफ हैं लेकिन ये अचानक मॉनिटरिंग कमेटी के नाम पर ये एसडीएम न तो सुनने के लिए तैयार है, एसडीएम महरौली से ये नोटिस आया है, और न ही इस पर किसी का... जब ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपना प्रजेंटेशन देने के लिए, अपने प्रूफ देने के लिए, न वो सुनने के लिए तैयार है। तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से ये जो पुरानी ऐतिहासिक कालोनी बनी हुई है, इनको टूटने से बचाया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, घोसिया कालोनी वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पर घोसिया कालोनी में जो इन्होंने नोटिस दिए हैं, ये जो वक्फ बोर्ड का गजट है अध्यक्ष जी, उसमें से खसरा नम्बर 217 मैन्शन है और ये वक्फ प्रोपर्टी है। उसके बावजूद भी 217 खसरा नम्बर का इन्होंने नोटिस दिया है। बाकायदा में हाई कोर्ट से इनका केस चल रहा है। सारे जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास में वक्फ की टेनेंट्स की स्लिप्स हैं। इसके अलावा इनके 1974 के पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं।

ये सारे प्रूफ्स हैं इन कालोनियों के। और साथ में एक नेहरू कैंप भी है। वहीं पर साथ में वहाँ भी कुछ झुग्गियाँ हैं। ये सारी जगह, ये कालोनी

जो बनी हुई है, लगभग चर्च कालोनी में हजार घर के करीबन हैं जहाँ ये घोसिया कोलानी है यहाँ भी 700–800 सौ झुग्गियाँ हैं।

माननीय अध्यक्षः कन्क्लूड करिए नरेश जी, कन्क्लूड करिए।

श्री नरेश यादवः नेहरू कैंप में भी लगभग पचासेक झुग्गियाँ हैं। अध्यक्ष जी, डीडीए ने डेवलपमेंट की नहीं, इसलिए सारी पूरी की पूरी दिल्ली अनऑथोराइज कालोनियाँ बसी हैं और उस अनऑथोराइज कालोनियों में हमारी अपनी सरकार में भी काम कर रहे हैं आज की डेट में और पहले काँग्रेस की सरकार ने भी काम हो रहा है। तो आज ये मॉनिटरिंग कमेटी के नाम पर ये डीटीएफ के नाम पर ये इनको क्यों उजाड़ा जा रहा है? तो में इसका घोर विरोध करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इसमें संज्ञान लेके... क्योंकि ये हजारों घरों का सवाल है, यानी हजार घर हैं तो वहाँ पे लगभग 5–6 हजार की आबादी वहाँ पर जरूर रहती है, तो उसके लिए वो सारे बेघर हो जायेंगे। पहले ही ऑलरेडी मॉनिटरिंग कमेटी की वजह से सारे बाजारों में सीलिंग चल रही है, लोग परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं।

माननीय अध्यक्षः नरेश जी, हो गया अब हो गया।

श्री नरेश यादवः आज ये रोड पे आ जायेंगे तो अध्यक्ष जी क्या होगा इनका? तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ यूडी मिनिस्टर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इसपे संज्ञान ले के तुरंत इन लोगों की मदद की जाए और किसी भी तरह से जो संभव हो प्लीज इसपे थोड़ा सा शुक्रिया किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्री कैलाश गहलोतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऑल पार्टी मीटिंग जिसके चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी मिस्टर भूरे लाल

और अन्य दो जो मेंबर हैं, वो भी आए थे। तो सिर्फ मैं नरेश भाई, ये बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है, उसमें अगर अनऑथोराइज कालोनी है या स्लम्स हैं, तो उसमें ये मॉनिटरिंग कमेटी के परव्यू से बाहर है। लेकिन काफी जगह ये देखा गया है कि एमसीडी फिर भी नोटिसेज भेज रहे हैं। तो अगर जो आप अनऑथोराइज कालोनी का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा आपने जिक्र किया तो आप रिप्रेजेंटेशन अपना मिस्टर भूरे लाल को भेजिए और साथ में जो मेयर हैं. आई थिंक एसडीएमसी होगा और जो कमिश्नर हैं, उनको भेजिए। वो नोटिसिस जो हैं दे आर बैड इन लॉ, यू केन टेक एप्रोप्रिएट ऐक्शन।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, वो लिख के भेजिए इसको। कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरी विधान सभा का 280 के तहत मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष जी, ये मेरी विधान सभा का ही मुद्दा नहीं है, ये पूरी दिल्ली का मुद्दा है। जो आज देश भर से जो राशन दिया जाता है भारत सरकार के माध्यम से, उसमें से जो चीनी मिलती थी, उस चीनी को भारत सरकार ने वो देने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया और वो चीनी आज लोगों के जीवन से उस मिठास को जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जी, इन गरीबों से वोट मांगे थे, उन गरीबों के जीवन से उस मिठास को छीन लिया और साथ ही जो है, आज मैं ये बताना चाहता हूँ जो है, लगभग दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्ड हैं, उस पर कैप लगा हुआ है। तो 72 लाख जो राशन कार्ड हैं, उस राशन के लोगों को अगर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय खाद्य मंत्री जी मेरी बात के ऊपर गौर करेंगे और दिल्ली की जनता

के लिए लगातार आम आदमी पार्टी गरीबों को देने का काम कर रही है तो उन सब राशन कार्ड के ऊपर एक केजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी अगर देने का काम करें तो कम से कम दिल्ली की जनता को हम चीनी मुहैया करा सकते हैं। इसमें लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार को अतिरिक्त उठाना पड़ेगा। गरीब जनता के लिए दिल्ली सरकार के लिए ये बजट मात्र बहुत थोड़ा है, बहुत कम है पर जो गरीब आदमी आज जिन्होंने चाय पीना भी बंद कर दिया। वो लोग अपनी चाय बनाकर और उस चाय वाले से लेके जो प्रधानमंत्री बना है, उसको इस का जवाब मिल जाएगा।

दूसरा, जो 72 लाख राशन कार्ड हैं, 72 लाख राशन कार्ड से ऊपर जो है, दिल्ली सरकार राशन कार्ड नहीं बढ़ा सकती है परन्तु 72 लाख राशन कार्ड में से... मैंने पिछले तीन महीने का लगातार स्टडी किया है, जबसे थम्ब इम्प्रेशन से राशन कार्ड देना शुरु हुआ है तो लगभग 20 से 22 परसेंट लोग जो हैं, वो राशन नहीं ले रहे हैं और 20 से 22 परसेंट आदमियों का राशन न लेना लगभग 14 से 15 लाख आदमी जो है, राशन नहीं लेते हैं। अगर हम नए 10 लाख कार्ड अगर बना देते हैं तो जो दिल्ली के अंदर जो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, बहुत सारे गरीब लोगों को उस राशन का फायदा नहीं उठ पाता, अगर वो 10 लाख राशन कार्ड बनाए जाते हैं तो दिल्ली सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है। जो सब्सिडी हमारे पास है, उसी सब्सिडी से हम जनता को राशन मुहैया करा सकते हैं ताकि कोई गरीब भूख से... दिल्ली के अंदर रहने वाला कोई भूख के कारण न मरे और इसके साथ ही जो है, उसमें अगर अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो 5 से 6 करोड़ का ही अतिरिक्त बोझ सरकार को उठाना पड़े। तो ये कोई ज्यादा नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद

है कि जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी जो है, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से जिस बात को रख रहा हूँ, उसका पूरा संज्ञान में लेंगे और उसको पूरा अमलीजामा पहनाएंगे और पूरी दिल्ली के जो गरीब, जो सबसे गरीब तबका है, उसमें कोई बिरादरी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं है। गरीब जो है, उसको जो है, चीनी मिलेगी, राशन मिलेगा।

माननीय अध्यक्षः हो गया, कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जनता का मुद्दा उठाने का मुझे मौका दिया, आपका बार बार धन्यवाद, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं देख रहा हूँ, आपने हाथ उठाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। दो मिनट दो।

माननीय अध्यक्षः श्री बग्गा जी।

श्री एस.के. बग्गाः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 280 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी कृष्णा नगर विधान सभा में झील खुरंजा में एक बस टर्मिनल है। वहाँ पर एक पास सेक्शन बना हुआ है। उसकी हालत इतनी खराब है, कभी भी वह कमरे गिर सकते हैं, न वहाँ पर कम्प्यूटर है, न पूरा स्टाफ है। मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ कि इस पास सैक्शन का सुधार करें लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस स्टैंड भी टूटे पड़े हैं। वहाँ की जनता बहुत परेशान है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पास सैक्शन का सुधार करवाएं तथा कंप्यूटर आदि लगवाए जाएं तथा बस स्टैंड बनवाया जाए जिससे जनता का भला हो, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः राजेश गुप्ता जी, एक मिनट में। 4–5 मिनट मेरे पास बाकी हैं। तीन बंदों को बोलना है। ये आउट ऑफ वे ले रहा हूँ जो तीन लोग आज एबसेंट थे।

श्री राजेश गुप्ताः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार शिक्षा में बहुत अच्छे काम कर रही है। उसी के तहत मेरी विधान सभा में भी 120 नए कमरे तीन स्कूलों के अंदर बने हैं लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ, शायद मेरे बाकी जो साथी हैं, उनके साथ में भी ये समस्या आ रही होगी कि जो नर्सरी के सैक्शंस बनाए गए हैं, उसके अंदर एक एक ही सेक्शन बनाया गया है। जब कि कई जगह फर्स्ट में ऑलरेड्डी दो सैक्शंस हैं। तो सिर्फ 40 बच्चे एक सेक्शन में होते हैं जिसमें साढ़े 12 परसेंट रिजर्व कैटेगरी के भी होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिमांड है कि स्कूल्स बहुत अच्छे बन गए हैं, क्लासेज बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत बुरी हालत है। उसमें बच्चों को मौका मिल नहीं पा रहा है और बहुत भीड़ आपके यहाँ पे भी लगी रहती होगी, हमारे यहाँ भी लगी रहती है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सैक्शंस को कम से कम उतना बढ़ा दिया जाए जो फर्स्ट और सेकॅण्ड में हैं और क्योंकि आज समय कम है तो मैं... जो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोम दत्त जी।

श्री सोम दत्तः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी आपका ध्यान मैं एमएलए फंड की सेविंग्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे लाखों रुपए इतनी सारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पे दो साल, तीन साल से बकाया हैं जैसे फ्लड डिपार्टमेंट में बारात घर बनवाने के लिए हमने साठ लाख रुपए दिए थे, 50 लाख में बना दस लाख का बैलेंस अभी तक बाकी है। ऐसी ही एमसीडी में लाखों रुपए बकाया हैं। वैसे ही चार करोड़ रुपए का इतना छोटा सा फंड है, पिछली बार भी बढ़ाने के लिए फाइल एल.जी. साहब के पास भेजी थी, वही नहीं बढ़ के आया। एमएलए फंड के काम हो नहीं पा रहे, और जो सेविंग्स हैं, वो भी यूडी डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि जल्दी से जल्दी बची हुई एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज वो सारा पैसा वापस एमएलए फंड में दिलवाया जाए, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस विषय में।

माननीय शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सोम दत्त जी ने ध्यान आकर्षित किया है, इस बात के ऊपर जितना भी एमएलए फंड है, उसमें नार्मली क्या होता है; जैसे 50 लाख का टेंडर है तो टेंडर कई बार वो 40 लाख में लगता है। तो 10 लाख रुपए को उसी टाइम एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को एडजस्ट कर लेना चाहिए, दूसरे टेंडर में एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने एडजस्ट नहीं किया है तो मैं सबको अभी यूडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूँगा कि सबसे जल्द से जल्द पैसा उसका रिकवर किया जाए और उसको एमएलए फंड में दोबारा से दिया जाए।

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मुझे इसीलिए बोलना पड़ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी ने जानबूझ के शायद न दिए हों वो। तो इसको.

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः जी, जी करा देंगे और सभी एमएलएज़ को पूरा अकाउंट उनका बना के भेज दिया जाएगा, क्या क्या पैसा है।

माननीय अध्यक्षः अल्का जी।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः नहीं, अभी वो भी चैक करके मैंने सबका अकाउंट पूरा बना के डूडा वाला भी, किस एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ने कितना पैसा है, सबका बना के भेज दिया जायेगा।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः अध्यक्ष महोदय, वो हुआ था कि डूडा से यूडी में आना है। सर, आज पाँच अप्रैल हो गयी है। 10 दिन से ज्यादा हो गया है इस विषय को भी उठाए हुए आपके सामने, सदन में रखे हुए। लेकिन आज तक भी वो यूडी में नहीं आया है। तो मंत्री जी इसका जवाब दे दें सर, वो कब तक आ जाएगा? दोनों विभाग आपके ही के पास हैं।

माननीय अध्यक्षः मंत्री जी ने अभी कहा है, मैं सब से जितना भी हुआ है, मैं मंगवा रहा हूँ।

श्री विशेष रविः वो तो सर, जो बचा हुआ एमाउंट है, उसके लिए कहा है उन्होंने।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं दोबारा से बता देता हूँ, शांति पूर्वक सुन लें। तो बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ

सभी एमएलए का पूरा हिसाब कि डूडा के पास जो पैसा था, उससे लिख के वापिस मंगा के जितना आ गया, नहीं आ गया, एमसीडी के पास फलड के पास्, जिसे भी डिपार्टमेंट को पैसा दिया, सारा हिसाब मंगा के एमएलए का करंट बैलेंस कितना है, पुराना कितना है, सबका मिला के कितना बच गया है, पूरा हिसाब बना के भेज दिया जायेगा जल्द से जल्द और अब आप कह रहे हैं कि जी, किस दिन तक आ जायेगा...

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः एस्टिमेटस 15 ऐस्टिमेट वहाँ पर पेन्डिंग हैं पिछले डेढ़ महीने से। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है कि डूडा ने अपने एकाउंट यूडी में सबमिट करने थे, क्या वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो गए हैं। क्योंकि दस दिन हो गए हैं यहाँ भी उठाए हुए।

माननीय अध्यक्षः वो ही तो बता रहे हैं, विषय विशेष रवि जी।

श्री विशेष रविः वो हिसाब बता रहे हैं सर, वो नहीं बता रहे हैं सर। हिसाब बता रहे हैं कि आप कौन...

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः भई अखिलेश जी, या तो एक बोल लें या सभी बोल लें।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अरे! मैं वही बता रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। आप सुनने की कोशिश कीजिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ कि डूडा से भी हिसाब मंगा के दिया जायेगा मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट का आया है, नहीं आया है।

... (व्यवधान)

माननीय शहरी विकास मंत्रीः अभी मुझे नहीं पता एकदम से डूडा में हम... नहीं होंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, इसमें कन्फयूजन है। बेहतर रहेगा हम अलग से मंत्री जी से मिल कर इस पर हर कोई चर्चा कर ले। अध्यक्ष जी, बेहत्तर रहेगा।

माननीय अध्यक्षः बैठिए–बैठिए। बैठिए, जरा प्लीज, बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः सब बोलेंगे, माननीय मंत्री जी नहीं समझ पाएंगे।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, हम अलग से मिल लेंगे मंत्री जी से।

माननीय अध्यक्षः अब आप सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी नहीं समझ पाएंगे।

... (व्यवधान)

श्री विशेष रविः यूडी में अपना एकाउंट सबमिट कर दिया है। नंबर वन, उसके बाद हमारे प्रपोजल जो हैं, जल्दी से निकलें। नंबर टू, वो है जो सेविंगस हैं, वो आप बाद में कर लीजियेगा चाहे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये है कि सभी डिस्ट्रिक्ट ने अपना डूडा से यूडी में सबमिट कर दिए हैं।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, एक मिनट।

माननीय अध्यक्षः भई सोमनाथ जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, हम उनको टोक रहे हैं।

माननीय शहरी विकास मंत्रीः मुझे लगता है, एक ही प्रश्न को चार या पाँच बार रिपीट करने से प्रश्न वो समझ में आ जायेगा, जरूरी नहीं है। और हो सकता है, पहली बारी में समझ में आ जाये। तो मेरा कहना ये है कि मुझे समझ में आ गया है कि डूडा ने करा, नहीं करा, वो हिसाब दिया जायेगा आपको; कितने काम कर दिए हैं।

... (व्यवधान)

मननीय शहरी विकास मंत्रीः हाँ, जी हाँ, जी, वही कह रहा हूँ पूरा का पूरा हिसाब बताया जायेगा पूरा का पूरा हिसाब सभी विधायकों का मंगा के दिया जायेगा।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ...

माननीय अध्यक्षः भई, इसको चर्चा का विषय नहीं बना रहे। दो मिनट बैठ जाइए ऋतुराज जी, मैं इस पर बाद में बात करूँगा प्लीज। भई, नहीं मैं चर्चा...

सुश्री अलका लाम्बाः कि आपने समय खत्म होने पर भी मुझे 280 में अपनी क्षेत्रीय समस्या रखने को कहा है।

माननीय अध्यक्षः भई नहीं, मैं चर्चा का विषय नहीं बना रहा इसको।

सुश्री अलका लाम्बाः अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ वो ही बात उठा रही हूँ, सदन के बाद जिसका जवाब हमें नहीं मिलता। एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसीलिए सदन से उम्मीद होती है कि इन मामलों में इस सदन के माध्यम से हमें जवाब और हल मिलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने संत परमानंद

हस्पताल जो नगर निगम सारे नियमों को ताक पर रख कर बना रहे हैं, उस प्रश्न को उठाया था। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कहा था, वो जवाब देंगे, किसी कारणों से नहीं दिया। उम्मीद करते हैं, वो मिल जायेगा।

माननीय अध्यक्षः अलका जी, हैं नहीं, माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने

सुश्री अलका लाम्बाः मैं वही कह रही हूँ, उम्मीद है मिल जायेगा। अब अध्यक्ष जी, जो आज 280 में है; बिल्डिंग नंबर 2716... बिल्डिंग नंबर 2716 कूचा चालान अपोजिट सब्जी मंडी दरियागंज पाँचवी मंजिल अभी इस समय खड़ी हो रही है उस पर इलैक्ट्रिकल जो है, टॉवर्स... बड़े टावर्स नियम जो हैं, वो नजर अंदाज करके लगाए जा रहे हैं। मेरी खुद डीसी एमसीडी जो है रुचिका कत्याल जी से फोन पर एमएमएस वाटसअप पर बात हो चुकी है। उन्होंने कहा, वो एक्शन लेंगी। लेकिन आज दूसरा दिन है, ऐक्शन नहीं हुआ, काम जारी है। मैंने डीसीपी हमारे जो दरियागंज थे, उनको भी लिखित में कहा। उन्होंने भी कहा, कार्रवाई की लेकिन दो दिन से दोनों की तरफ से पुलिस और एमसीडी से कोई भी विभाग नहीं पूछा कि किस तरीके से पाँचवीं मंजिल बन के ये टॉवर खड़े कर दिए गए और ये एक टॉवर नहीं, अध्यक्ष जी, बगीची भागर्व लेन में भी अभी इस समय टॉवर खड़ा किया गया है और मजनूं का टीला... वहाँ के लोग बहुत चिन्तित हैं अपनी सुरक्षा को लेकर कि इमारतें खड़ी करके टॉवर्स खड़े किए जा रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ये दोनों विभाग दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आते, इसलिए हमें जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इस सदन के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों की चिन्ताओं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम और दिल्ली पुलिस सक्रियता दिखाए और इसका हल दे, जयहिंद, धन्यवाद।

माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी नियम 55 के अंतर्गत

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं आज बड़े दुःखी मन के साथ सदन के सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति और उस पर भारत बंद के दौरान हुई हिंसा... उसके संदर्भ में कुछ तथ्य पूरे सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ और मन दुःखी इसलिए है कि भारत देश आज खतरे में है, आज हमारे देश की मर्यादा खतरे में है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड़ है और इस सवा सौ करोड़ में लगभग तीस करोड़ जनसंख्या एससी और एसटी की है, लगभग बीस करोड़ जनसंख्या माइनोरिटी की है जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन्स, सिक्ख, जैन, बौद्ध और लगभग साठ करोड़ जनसंख्या ओबीसी की है। इसको सारे को अगर जोड़ दें तो 125 करोड़ में से लगभग 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इनसेक्योरिटी की भावना हो रही है। देश में लोग अपने आपको इनसेक्योर महसूस कर रहे हैं और आम आदमी तो छोड़िए, इन कम्युनिटीज से जो सांसद, एमएलए और मंत्री तक अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी दो तारीख को भारत बंद था और तीन तारीख को उसके विरोध में राजस्थान के अंदर करौली डिस्ट्रिक्ट ने दो शेडयूल कास्ट एमएलए; एक राजकुमारी जाटव जो बीजेपी से हैं, यानी उन्होंने उन तक को नहीं बख्शा जिन की खुद की सरकार हैं वहाँ और दूसरी एमएलए भरोसी लाल जाटव जो काँग्रेस के टाइम में मंत्री रहे, पुलिस की उपस्थिति में दोनों के घरों को जला दिया गया। राजकुमारी जाटव ने बताया, ***On Monday, few vehicles owned by her family were torched, today my house set on fire. The police remained silent spectator.'*** दुःख

की बात ये है कि राजस्थान की पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के संरक्षण में दो एमएलए के घरों को आग लगा दी जाती है, उनकी प्रोपर्टीज को आग लगा दी जाती है और पुलिस साइलेंट इस्पेक्टर बनी रहती है। आम आदमी के लिए क्या भरोसा है! कौन भरोसा देगा आम आदमी को जब देश के अंदर एमएलए और पूर्व मंत्री सुरक्षित नहीं है। गुजरात के दंगों में एक सांसद को जिंदा जला दिया गया, वो किसी से छिपा नहीं है। हम आखिर. ...अपने देश को क्या हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे? मेरा भारत महान कहने से महान नहीं बनेगा, हमें महानता अपने अंदर पैदा करनी होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केन्द्र की सरकार ने रिव्यू पेटीशन लगाई जो एससी एसटी प्रोहिबिशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट पर जो दो जज बैंच की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट से जो एट्रोसिटी एक्ट डॉयल्यूट हुआ, उसके डायल्यूट होने पर पूरे देश के अंदर दो तारीख को भारत बंद रखा गया और उसके बाद केन्द्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पुर्नविचार याचिका दायर की। पुर्नविचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कानून के प्रावधानों को नरम नहीं किया है बल्कि निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में उनके हितों की रक्षा की। न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी कानून के प्रावधानों को इस्तेमाल निर्दोष लोगों को आतंकित करने के लिए नहीं किया जा सकता। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज अगर सर्वे करवाया जाए तो जेलों के अंदर जितने भी लोग कैदी के रूप में बंद हैं, उसके अंदर 30 से 40 परसेंट ऐसे कैदी हैं जिनको पता ही नहीं कि जुर्म क्या हुआ। ऐसा कोई एक कानून कोई मुझे बता दे जिसका दुरुपयोग न होता हो? इसी के लिए आईपीसी के अंदर सेक्शन–182 डाला गया कि अगर कोई किसी गलत भावना से, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करता है और ये पाया जाता है कि दुर्भावनावश झूठा मुकदमा बनाया गया है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीक्यूशन चलाया जाएगा, 182 आईपीसी

के अंदर उसको सजा होगी। जब ऑलरेडी झूठा मुकदमा बनाने वाले के खिलाफ आईपीसी में प्रोविजन है, आप उस प्रोविजन को अप्लाई कीजिए। पूरे के पूरे एक्ट को डाइल्यूट कर देना... वो कह रहे हैं, हमने डाइल्यूट नहीं किया लेकिन कोर्ट साथ में ये भी कह रही है कि किसी के भी खिलाफ मुकदमा तब तक दर्ज नहीं होगा, जब तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी न हो जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे हालात में जहाँ पहले ही मुकद्द्मे एट्रोसिटीज ऐक्ट में पुलिस दर्ज नहीं करती, ज्यादातर लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। लोग ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाते हैं, महीनों चक्कर लगा के, सालों कोर्ट में पैसा खर्च कर लड़ने के बाद उनका मुकदमा दर्ज हो पाता है। ऐसे में जब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की कंडीशन डाल दी गई कि किसी के खिलाफ एफआईआर भी तब तक दर्ज न हो जब तक कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में ये पता ना लगे कि हाँ, जुर्म हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सैक्शन–154। सेक्शन–154, वो ये कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और वो इंफोर्मेशन पुलिस को किसी भी माध्यम से मिलती है, चाहे टेलीफोन से क्यों ना मिले, देन पुलिस इज ड्यूटी बाउण्ड टु रजिस्टर अ केस। तो आखिर संसद के बनाए कानून को बिना किसी जायज वजह के सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बदलना चाहिए? क्या लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या न्यायालय के ऊपर लोग भरोसा करेंगे?

न्यायालय ने कल कहा सीलिंग के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे तो लोग न्यायालयों पर आकर भी प्रदर्शन करना शुरु कर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के निवास पर प्रदर्शन हो सकता है, मुख्यमंत्री के निवास पर प्रदर्शन हो सकता है, पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है लेकिन न्यायालय के प्रति जो जनता का विश्वास है अगर वो विश्वास टूटेगा, अगर इस तरह की जजमेंट्स बिना उसके इतिहास को

समझे, बिना उसके कानून के बैकग्राउंड को जाने, अगर एक आध केस में इस तरीके के जजमेंट इस तरह की आएगी जो पूरे के पूरे कम्यूनिटी को डरा दे, पूरी की पूरी कम्युनिटी को इन्सेक्योर फील करा दे तो क्या लोग फिर कानून की और सरकार की और कोर्ट की इतनी इज्जत करेंगे! एक तो ये मेरा कहना था।

दूसरा, मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि इस दो तारीख के बंद में तथ्य सामने आए हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो शख्स ये गोली चलाता दिखाया गया है, इसका नाम है राजा चौहान। इसके फादर ने कहा है मेरा लड़का तो हवाईफायर वाला, लड़का... ये नहीं कहा मेरा लड़का, पहले तो ये कहा मेरा लड़का तो दो दिन पहले से ही बाहर था, टीवी में स्टेटमेंट आई है बकायदा। उसके बाद इसके फादर ने कहा कि गोली तो मेरे परिवार के लोगों ने चलाई लेकिन ये लाइसेंसी रिवाल्वर है और गोली हवा में चलाई। कोई बता दे देखकर, क्या ये गोली हवाई में चलाई जा रही है या प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर चलाई गई, जिसमें एक जाटव लड़के की जान चली गई और तो और दुःख की बात ये है कल रवीश की ये रिपोर्ट में था, पुलिस एक तरफ को कह रही है कि अभी मेडिकल, जो फॉरेंसिक साइंस से रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा कि इस रिवाल्वर से गोली चली या किसी और से चली लेकिन पुलिस ने मृतक के पिता जी को उसकी डेड बॉडी नहीं दी। पोस्टमार्टम कराते ही सीधे ले जाकर उसको उन्होंने जला दिया। ऐसी घटना देश में कभी देखने को नहीं मिली कि मृतक के पिताजी को उसकी बॉडी भी न मिले और पुलिस ने कहा, भई ये 313, बारह, तेरह कुछ नम्बर बोला, ये तो उस नम्बर की गोली से मरा। ये उस रिवाल्वर की गोली से नहीं मरा। एक तरफ तो पुलिस कह रही है फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा और दूसरी तरफ मृतक के पिताजी से कह रही है ये तो फलाना नम्बर गोली से मरा है।

क्या पुलिस को पक्ष बनना चाहिए? क्या पुलिस के ऊपर जनता का भरोसा रहेगा? क्या देश की 125 की आबादी में से 110 करोड़ जनता इन्सेक्योर फील करेगी? क्या ऐसी सूरत में हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या ऐसे हालत में हम देश को एकजुट रख पाएंगे?

मैं पूछना चाहता हूँ ये जाति और धर्म का निर्माण किसने किया? कुदरत ने तो सबको इंसान के तौर पर पैदा किया था। कोई मुझे आकर बता दे कि क्या जब से इंसान बना धरती पर क्या तब से जातियां और धर्म थे? अब से 550 साल पहले सिक्ख धर्म बना, अब से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म बना, अब से 2018 साल पहले ईसाई धर्म बना, अब से 2589 साल पहले जैन धर्म बना और जैन से 25 साल पहले बौद्ध– बौद्ध धर्म बना और बौद्ध से 25 साल पहले जैन धर्म बना और लगभग 4000 साल पहले सनातन धर्म बना। इससे पहले दुनिया के इतिहास में जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो मुझे जाँच करके बता दें क्या अब से 4500 साल पहले सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई कोई हुए हैं? इतिहास साक्षी है अगर ईमानदारी से इतिहास को पढ़ा जाएगा, हम सब लोग इंसान के तौर पर पैदा हुए लेकिन चालाक लोगों ने जाति और धर्म की रचना की।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि खेती की भूमि कुछ ही लोगों के पास क्यों है? बहुतायत मात्रा में लोग गरीब क्यों हैं? क्या खेती की जमीन लोग माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं? क्या देश की जमीन पर, जंगल पर, नदियों पर, पर्वतों पर राष्ट्र को, सरकार को मालिक होना चाहिए? संपत्ति देश की है लेकिन चंद लोग उसके मालिक हैं। वो लाखों–करोड़पति बने जा रहे हैं और रात दिन मेहनत करने वाले लोग एक–एक दाने को तरस रहे हैं। लोगों का मैला उठाने वाले लोगों को महीनों–महीनों तनख्वाह नहीं

मिलती है। लोग 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किस दिशा में आखिर देश जा रहा है?

मैं आपको, कोर्ट को भी इंगित करना चाहता हूँ कि कोर्ट जजमेंट हबड़–तबड़ में, जल्दबाजी में न दें। कोर्ट पहले पढ़े। एक ये घटना.... पढ़कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद के कासगंज की घटना है। मैं सब सम्मानित साथियों का ध्यान चाहूँगा कि कोर्ट पर लोगों को भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोर्ट को अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए, कोर्ट को जुडिशियस माइंड अप्लाई करना चाहिए, कोर्ट को बायस्ड नहीं होना चाहिए। कोर्ट को किसी भी मीडिया ट्रॉयल से प्रभावित नहीं होना चाहिए ताकि लोगों का कोर्ट में भरोसा बना रहे। यही हालात चलते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा। ये जजमेंट उस भरोसे को उठाने वाली है। ये मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूँ। इलाहाबाद के कासगंज में निजामपुर गाँव में आज तक दलित दूल्हे की घोड़ी चढ़कर बारात नहीं निकाली गई, कभी नहीं निकल पाई। दूल्हा संजय कुमार घोड़ी चढ़कर अपनी बारात निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि स्थानीय सवर्ण इस काम का विरोध कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का हवाला देकर स्थानीय प्रशासन ने घोड़ी चढ़ बारात निकलवाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। यानी पहले तो प्रशासन से माँगी मदद, प्रशासन ने कानून व्यवस्था की दुहाई देकर ये कह दिया कि हम तुम्हारी बारात घोड़ी पर निकलवाने में मदद नहीं कर सकते, इससे कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। कौन से भारत में जी रहे हैं हम? क्या ये आजाद भारत है या नहीं और जब प्रशासन ने मदद नहीं की तो ये लड़का हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में... शर्म की बात ये है कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो जवाब फाइल किया, उसने भी कोर्ट के सामने ये कह दिया कि कानून

व्यवस्था की वजह से, कहीं बिगड़ न जाए, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते लेकिन दुःखद ये है, ऐसी स्थिति में कोर्ट को अपना निर्णय लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि आप अपनी सुरक्षा में बारात को घोड़ी पर निकलवाइए लेकिन ये करने की बजाय कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कोर्ट की जस्टिस रण विजय सिंह और जस्टिस शशिकांत की डिविज़न बैंच ने ये याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ता को किसी प्रकार की परेशानी है तो वह मुकद्मा दर्ज करा सकता है या ऐसा ना होने की पर मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल कर सकता है। यानी पहले वो बारात को लेकर जाए फिर बारात के ऊपर हमला हो, फिर कुछ लोग उसमें मारे जायें। उसके बाद याचिकाकर्त्ता कोर्ट के अंदर जाए मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकद्मा दर्ज कराये। बनवारी काण्ड... क्या बात है सोनी साहब, मेरी पूरी जिदंगी इस मिशन में गुज़री है। मैं सैंकड़ों केस गिना सकता हूँ यहीं इसी वक्त खड़े–खड़े। किस–किस को गिनायें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से जजमेंटस आयेंगे और पुलिस प्रशासन इस तरह के जवाब देगा, अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर देगा तो लॉ एंड आर्डर कहाँ जायेगा। देश को एकजुट कैसे रख पायेंगे। समाज को एकजुट कैसे रख पायेंगे। दूसरे लोगों से खतरा हमारे देश को नहीं है। न हमें पाकिस्तान से खतरा है, न हमें बांग्लादेश से खतरा है। हमें अगर खतरा है तो अपने देश के अंदर जो मानवता पसंद लोगों के खिलाफ अमानवीय व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों से खतरा है। जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं लेकिन राष्ट्रद्रोही वाले कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से खतरा है।

तो मैं सदन के माध्यम से चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग समझें, दिल्ली के लोग समझें कि ये देश किसी एक जाति और धर्म का देश नहीं है।

ये देश हम सब से मिलकर बना है। और हम सब लोग अगर सुरक्षा की भावना में रहें, एक–दूसरे के धर्म की इज्जत करें, एक–दूसरे के मान–सम्मान को रिस्पेक्ट दें... हमने कानून में पढ़ा था कि अगर आपको अपने राइट सुरक्षित चाहिए तो आप अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। लेकिन यहाँ तो कर्त्तव्य का पालन कोई नहीं करता, सब केवल अपने अधिकार की बात करते हैं। दूसरे के अधिकार को कुचल के अपने अधिकार की बात करना ये किस हद तक जायज है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक और केस... मैं आपका ज्यादा लम्बा समय नहीं लूँगा। प्रोफेसर सरदेला जिनको आईआईटी कानपुर में जिनका सलैक्शन हुआ। उनका पहले सलैक्शन साउथ कोरिया में हुआ। हवाई जहाज के ईंजन मैकेनिक के तौर पर। सौरभ जी आप और ज्यादा सर दबाएंगे अपना सुनने के बाद। आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर सरदेला ने ज्वाइन किया लेकिन यहाँ ज्वाइन करने से पहले उनका साउथ कोरिया में सलैक्शन हुआ। यहाँ से पाँच गुणा ज्यादा तनख्वाह पर। लेकिन प्रोफेसर सरदेला ने कहा कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ इसलिए उसने साउथ कोरिया जाने की बजाय आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया। लेकिन आईआईटी कानपुर के अंदर उनका इतना शोषण हुआ, इतना शोषण हुआ कि वो ऐसे हालात हो गए कि उसको जा के मजबूरी में शेड्यूल कास्ट कमीशन का लिखना पड़ा। उनके हैड आफ डिपार्टमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इनके साथ जुल्म हुआ, हो रहा है। मैं दो–तीन लाईन पढ़के फिर वापिस अपनी बात को संक्षेप करूंगा, 'द हैड आफ द डिपार्टमेंट ए. के. घोष टोल्ड द कमेटी दैट सम प्रोफेसर हैड ज्वाइन टूगेदर टू हैरास सरदेला।' मतलब हैड आफ दा डिपार्टमेंट कानपुर आईआईटी के, वो कहते हैं कि बहुत सारे आफिसर आपस में मिल गए और उन्होंने मिलकर प्रोफेसर सरदेला को

एक्सप्लॉएट किया, टॉर्चर किया। ऐसे–ऐसे सवाल किए कि वो आदमी डिप्रेशन में चला जाये। इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ ये घटना मात्र मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में अगर ये कर दिया जाए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी हो, कोई भी डीएसपी इस देश में दलितों का तो कोई रहनुमा ही नहीं है। उनकी सुनेगा कौन? कौन डीएसपी है जो उनकी बात सुनेगा? पहली बात तो ये है कि वो जब थाने मुकद्मा दर्ज कराने जाते हैं तो दुत्कार के भगा दिया जाता है। ऐसे हालात में मेरे ख्याल से दिल्ली में मैंने खुद भुगता है। वो घटना बताके मैं खत्म करूँगा। 19 अप्रैल 1979 को मेरे खुद की बड़ी बहन की शादी थी। मैं उस वक्त सैवंथ, सिक्स्थ क्लास में था। बारात को कुछ दबंगों ने रास्ते में कहा कि यहाँ आप नहीं नाचोगे, यहाँ से बाहर जाओ। बारातियों ने उसका विरोध किया। उन्होंने बारात पे हमला किया, कई लोग घायल हुए, सीआरपीएफ के 60 जवान दो महीने तक लगातार मेरे घर पे रहे। मैं तो छोटा सा था। छोटी सी नौकरी में मेरे फादर ने 60 जवानों का दो महीने का खाने–पीने का खर्चा उठाया। तो वो दर्द मैं सोचता हूँ, तब था लेकिन आज भी इस तरह की घटना है। क्या देश बदल रहा है! क्या वास्तव में हम लोग देश की तरक्की कर पा रहे हैं! ये अपने देश को राष्ट्रवाद की बात कहके राष्ट्रद्रोह की घटनाएं हम खुद ही कर रहे हैं। अभी इस घटना से पता चला, ये राजा चौहान शेड्यूल कास्ट नहीं था। इसने आंदोलनकारियों पे हमला किया। कल की रवीश की रिपोर्ट है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है ये। ग्वालियर के अंदर, भिंड के अंदर, गाजियाबाद के अंदर जो शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन चल रहे थे उसके अंदर घुसके लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों के ऊपर हमला किया। कुछ ने छत पे से पत्थर फेंके और प्रदर्शनकारियों को इंस्टीगेट किया। कई जगह की ऑन रिकॉर्ड घटना आ गए हैं। वो आईडेंटिफाई कर लिए गए हैं। एनडीटीवी ने बताया, हमने उनको आईडेंटिफाई किया है। वो शेड्यूलकास्ट

लोग नहीं हैं। उन्होंने आगजनी की पूरे के पूरे शांतिपूर्वक आंदोलन, कहीं ये सफल न हो जाये। इस आंदोलन को सबोटाईज़ करने के लिए इस आंदोलन को खत्म करने के लिए दबंग लोगों ने आंदोलनकारियों के बीच घुसके, उन लोगों के ऊपर हमला किया, आगजनी की, सरकारी संपत्ति जलाई लेकिन दुःख की बात ये है, पूरे देश से रिपोर्ट आ रही हैं, सेंकड़ों एफआईआर दर्ज हुई हैं। कई हजार अनुसूचित जाति–जनजाति के लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कइयों को जेल भेज दिया गया है और लगातार घर से ढूँढ़–ढूँढ़ के पकड़ा जा रहा है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी, कि केन्द्र की सरकार एसआईटी गठित करे। सारी फुटेज निकाले और जाँच करे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये आगजनी की। वो कौन लोग हैं जो बंदूकें लहरा रहे थे। वो कौन लोग हैं जिन्होंने... हमारे लोग सिर्फ पुलिस की गोली से नहीं मरे। हमारे लोग शोषणकारी तत्वों की गोली से भी मरे। ये पहला मौका है। वरना होता ये था, आंदोलन होता था और दूसरे लोग उसमें मरते थे। इतना बड़ा आंदोलन हुआ और करीब 15 लोग मर चुके हैं और 50 से 200, 100–150, सौ के करीब लोग घायल हैं। और हजारों लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो क्या केन्द्र की सरकार एक तरफ ये दिखाती है कि हम तो दलितों के साथ हैं, हम तो न्याय की बात करते हैं। और एक तरफ अपनी पुलिस के माध्यम से झूठे

मुकद्दमे दर्ज कर–कर के हमारे बेकसूर लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि केन्द्र की सरकार एसआईटी गठित करे। पूरी जाँच करे। एक तरफ यूपी के अंदर सारे जितने भी अपराध इस तरह के थे, बीजेपी कार्यकर्त्ताओं के वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। आपको जानकारी में होगा, हरियाणा में विदड्रॉ कर लिए गए हैं। एक तरफ दबंग लोगों के ऊपर सरकारी संपत्ति में आग लगाने के केसिस को

विड्रॉ किया जा रहा है और एक तरफ जो शोषित है, जो अपनी हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, उसपे झूठे मुकद्दमे बनाके उनको जेलों में डाला जा रहा है। अध्यक्ष जी, इससे विश्वास पैदा नहीं होगा, इससे भारत मजबूत नहीं बनेगा। निःसंदेह जितना ज्यादा दबाओगे, उतना ही आग और ज्यादा फैलेगी। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ और केन्द्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज आप हमारे देश को बचा लीजिए। हमारा देश खतरे में है। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। शुक्रिया, जय हिंद।

माननीय अध्यक्षः नाउ डिस्कशन ऑन आउट कम रिपोर्ट ऑफ ऑफिस एल.जी. ऑफिस... नहीं, अब इसमें हो चुका है डिस्कशन। मंत्री जी का स्टेटमेंट था। इस वक्त देखिए, आज का, आज का समय इतना महत्वपूर्ण है। अरे भाई! माननीय मंत्री जी ने सारी बात कह दी। नहीं, अब नहीं समय, नहीं, इसके लिए समय नहीं है। विशेष जी, प्लीज। नहीं इसमें डिस्कशन नहीं है। उनका। देखिए, मेरे पास जो विषय आए हुए हैं, उन विषयों पर डिस्कशन करना... एक बार सुन लें। हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। नहीं ये माननीय मंत्री जी का विषय पूरा हो गया।

श्री विशेष रविः पूरे देश से जुड़ा हुआ विषय है सर, ये। सर, यहाँ ये सिर्फ दिल्ली से सीमित नहीं है ये विषय। ये पूरे देश के लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। और इस समय जो हालात हैं, ये ऐसा लग रहा है कि देश की अखंडता और एकता पे खतरा बना हुआ है। जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं उस तरह से।

माननीय अध्यक्षः विशेष जी।

श्री विशेष रविः जी सर।

माननीय अध्यक्षः ये माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इसको रख लिया। अभी इतना समय नहीं है सदन का। हाँ, संजीव जी, आप क्या कह रहे हैं? एक सैकंड रुकिए, एक सैकंड रुक जाइए। मुझे संजीव जी को सुन लेने दीजिए।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर मसला है। एक दैनिक जागरण के नाम का पेपर है। जो लगातार हाउस के कंडक्ट को गलत तरीके से छापता है। आउट कम बजट अब आया था, मुझे लगता है इतिहास में पहली ऐसी सरकार और ऐसा प्रयास था जिसके अंदर ये बताया गया कि किस तरह से बजट का उपयोग किया गया। उसके जवाब में जब ये पेपर छपता है तो लिखता है, 'नहीं मिले आउटकम बजट में, सरकार ने दिखाई आंकड़ों की बाजीगरी।' दूसरी तरफ हाउस में कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे थे, कई सारे सदस्यों ने ओर आपने भी इस पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन इस दैनिक जागरण ने इसको छापा 'नहीं मिले जवाब तो अधिकारियों पर निकाली खुन्नस।' ये इस तरह से हाउस का, गम्भीर जो यहाँ बहस होती है, उसका मजाक उड़ाना है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इसको प्रिविलेज में यानी विशेषाधिकार समिति में भेजना चाहिए ताकि इस पर उचित कार्रवाई हो।

माननीय अध्यक्षः आप इस पेपर की कटिंग के साथ मुझे लिख के दे दीजिए।

श्री संजीव झाः जी बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः भई विशेष जी, ये मुझे सारा पूरा करवाना है। मेरे पास ये तीन नाम आए थे इस पर डिस्कसन के लिए। मैंने रोक दिया है। नहीं, मैंने अभी नहीं कहा, सम्भव है एक दिन बढ़ेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः पाँच मिनट में पूरा करेंगे। चलिए, अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः घड़ी देख लीजिएगा।

श्री अजय दत्तः ठीक है सर। दलितों का सुनना पड़ेगा। सौरभ भाई, ये तो गलत बात है।

माननीय अध्यक्षः आप शुरु करिए। अजय दत्त जी आप टाईम लूज कर रहे हैं अपना।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, ये भारत का संविधान, मेरा संविधान, बाबा साहब का संविधान मेरे हाथ में है, इसमें प्रिएम्बल में लिखा हुआ है, 'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा की समानता प्रदान करते हैं।' ये हमारे देश का संविधान है जो सबको समान बनाता है। ये वो संविधान है जिसने सबको समानता का अधिकार दिया है। अध्यक्ष जी, आज 70 साल की आजादी के बाद भी इस देश में दलितों को अलग माना जाता है और आज भी इस देश में जो एक बहुत ही बड़ा कानून बनाया गया था एट्रोसिटी एक्ट के दौरान उस कानून ने इस देश में ऐसे 35 करोड़ लोगों को प्रोटैक्ट किया हुआ था जिनके ऊपर, जिनकी मान–सम्मान में, जिनके स्वाभिमान में, जिनके काम करने की क्षमता को रोकने का प्रयास कुछ क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग करते थे और वो प्रवृत्ति धीरे–धीरे खत्म होती जा रही थी, समानता आती जा रही थी लेकिन जब इस ऐक्ट को अमेंड किया गया और सुप्रीम कोर्ट

ने जब अपनी रूलिंग दी तो सारे पूरा दलित समाज को एक असुरक्षा का भाव हुआ और 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा जनसमूह शांतिपूर्ण रूप से सड़क पर आया, कहा कि हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप इस कानून को दुबारा से रेस्टोर कर दीजिए, बल्कि आप एक ऐसा कानून बनाइए कि जहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ पर लोग एक–दूसरे के सामने अपनी क्षमता के आधार पर आगे आएं न की... बहुत सारे लोगों में क्षमता नहीं है और जिन लोगों में क्षमता है उनको दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पर उनको पीड़ित किया जाता है और उनकी क्षमता को दबाया जाता है। एक बहुत बड़ी साजिश के दौरान कुछ चंद लोग इस तरीके से अपने–अपने इन्टरेस्ट के लिए, ये पूरी भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ***you are nothing, but in other words, they are actually not competent and that is why in this whole, in this biggest democracy, some of the people of this country are not really giving respect to the people who are really completent.***

अध्यक्ष जी, ये जो पूरा वाकया हुआ, इससे हम सब क्षुब्ध हैं, पूरा दलित समाज क्षुब्ध है, और हम बीजेपी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस देश को चला रहे हैं, आप इस देश की गवर्नेंस कर रहे हैं जितने भी राज्य भारतवर्ष में जहाँ भी प्रोटैस्ट हुआ, 2 अप्रैल को वहाँ सबसे ज्यादा हिंसा हुई और वहाँ हमारे 14 लोग मरे, हम चाहते हैं कि इस पे कड़ी कार्रवाई हो, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने गोलियाँ चलाई और वो डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो और ये कार्रवाई के लिए आप जल्दी से जल्दी एक स्पेशल कोर्ट बिठाएं जो कि विद इन वन मंथ डिसीजन दे और आगे से कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटैस्ट करे, कोई शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना रैली निकाले, उनके ऊपर इस तरीके

से, इस बर्बरता के साथ कार्रवाई ना हो और दलितों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि ये देश तुम्हारा है, तुम यहाँ के नागरिक हो, समानता तुम्हारी है, काम करने का अधिकार तुम्हारा है और तुम यहाँ रह सकते हो, खुले से जी सकते हो, न कि कुछ लोग आ के तुम्हारा सारा जीवन त्रस्त कर दें।

अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर है और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एट्रोसिटी एक्ट में जो भी दलील सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसमें एक बहुत बड़ा प्वाइंट जो मैंने पिछली बार भी रेज किया था; एक एजेंसी है अध्यक्ष जी, उसका नाम है, नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो। उसके अनुसार एट्रोसिटी केस में सिर्फ 2.4 परसेंट लोगों को कन्विक्ट किया गया और ***and half of the people were withdrawn cases which means there were only 1.2 percent of the people were really convicted and this data shows that decision was not up to the mark and that is why we again request Supreme Court and BJP and all the govt. that please do something and put forward the review committee and also I wanted to say one thing last that …***

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त दी को बोलने दें जितना बोलते हैं, मैं रोकूंगा नहीं।

Shri Ajay Dutt: ***At least five people… the five judges committee who should listen to this case and do justice to the whole dalit community, thank you, adhyaksh ji, today you have given me ample opportunity, I am really thankful to you. Thank you very much.***

माननीय अध्यक्षः अजय दत्त जी को बोलने दें जितना बोलते हैं मैं रोकूंगा नहीं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद। विशेष रवि जी। भई देखा इसमें, अब विशेष जी ने आग्रह किया, दो लोगों को बोलने दो।

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी, एक चीज कहना चाहूँगा मैं इसके ऊपर एक ही समाज बोलता है तो शायद उस बात की इतनी अहमियत नहीं रहती, दूसरे को भी मौका होना चाहिए। मेरा आग्रह है आपसे।

माननीय अध्यक्षः दो माननीय विधायक बोल सकते हैं। अब दूसरा कौन बोलेगा, ये तय करो। हाँ हाँ, जी विशेष रवि जी, बताइए, विशेष रवि जी बताइए, महेंद्र जी को। चलिए धन्यवाद। बहुत–बहुत विशेष जी का धन्यवाद। महेन्द्र जी बताइए।

श्री महेंद्र गोयलः अध्यक्ष जी धन्यवाद जो आपने इस गंभीर मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, ना मैं हिन्दू की बात करता हूँ ना मुसलमान की बात करता हूँ, ना मैं दलित की बात करता हूँ ना सवर्ण की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो आम इन्सानों की बात करता हूँ।

इस बात में कोई दो राय नहीं है आज कुछ विशेष समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार बहुत हो रहा है। उनको मारा जा रहा है काटा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, आज मैं कुछ क्योंकि दिल से बात कर रहा हूँ इसमें मंत्री जी ने जो बोला, इनकी बात से मैं बहुत सी जगह इत्तेफाक भी रखता हूँ और बहुत सी जगह नहीं भी रखता हूँ। दिल से बोल रहा हूँ शायद बहुतों को ये बात बुरी भी लगे और कुछों को अच्छी भी लगे। बात बराबरी की होनी चाहिए, उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर आया है, उससे कहीं पर मैं सहमत भी हूँ और कहीं से असहमत भी हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं अध्यक्ष जी, जिस समाज के ऊपर आज अत्याचार हो रहा है, वो हो भी रहा है लेकिन उसी समाज से कुछ लोग, कुछ विशेष व्यक्तियों

के ऊपर या दूसरी जाति के लोगों के ऊपर इस एक्ट के दौरान ऐसे केसिज बनवा देते हैं उनकी जिन्दगी खराब हो जाती है। बहस का विषय है ये। दिल से बोल रहा हूँ, लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसी के अनुसार ये बात कर रहा हूँ। इस बात में इनकी बात से इत्तफाक रखता हूँ कि इस समाज का शोषण हुआ है। हमारे बहुत सवर्णों ने इनका शोषण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनसे गंदगी भी उठवाते हैं, जब चाय पीने का इनका कोई नंबर आता है तो शायद अपने से कई सौ मीटर दूर बिठवा देते हैं और एक कुल्हड़ के अंदर इनको चाय देते हैं। काम करवाते हैं अपने खेतों के अंदर लेकिन रोटी के नाम पर जब रोटी देने के लिए आती है तो ऐसे फेंक देते हैं। आज ये समाज पढ़कर–लिखकर कुछ बड़ा हो रहा है और बड़ा हुआ है और होना भी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने भी दलित साथी हैं, उनके साथ मैंने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, बराबरी का व्यवहार करता रहा हूँ और अपनी जिंदगी के अंदर आगे भी बराबरी का व्यवहार करूंगा, कहीं पर फर्क नहीं डालूँगा। लेकिन जब किसी एक सवर्ण जाति के बच्चे के ऊपर और उसने कोई कुसूर नहीं किया होता और उसके ऊपर उस एक्ट के दौरान उसको जेल की सजा हो जाती है और उसकी जमानत तक नहीं होती, ये भी सोचने की बात है। इसके लिए सोचना चाहिए। कानून के जो जानकार हैं उसकी बातचीत को बिल्कुल ठीक से रखना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने सभी साथियों से एक ही बात कहूँगा अपने दिल की आवाज के साथ। आज जो बीजेपी राज्यों के अंदर जो हुआ मुझे खेद है, बहुत दुःख होता है और कहीं पर इस बात के लिए कि हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नफरत पर नफरत फैलाते जाएं सवर्ण दलित से, दलित सवर्ण से कहीं पर एक–दूसरे को नफरत की निगाहों से देखता है, तो ये दुखदायी है। समाज बंटता है, भाईचारा बंटता है। मेरा सिर्फ... क्योंकि आप हमारे सबसे

बड़े हैं, पिता समान है क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आपके बच्चों के समान है। आपको एक पिता की भूमिका के अंदर है अंतर्विवेक से सोचकर इस बात को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, ये बात पहुँचाने का आपको पूरा हक है।

मेरा सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध है कि पूरे विवेक के साथ, पूरे अंतर्आत्मा के साथ हमें सभी को सोचना चाहिए, यही मेरा आग्रह है।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री पंकज पुष्करः अभी समय नहीं है लेकिन आप कृपा करके इसके लिए समय संभव कर दीजिए।

माननीय अध्यक्षः ***discussion on outcome report of office of hon'ble Lt. Governor.***

The House to discuss the outcome report pertaining to the office of the Hon'ble Lt. Governor presented by Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Dy. Chief Minister on 4th April 2018 श्री सौरभ भारद्वाज जी।

माननीय समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): सीएम साहब ने परसों सदन को आश्वासन दिया था जो हमारे बीस सदस्य हैं। उनकी आईडी जो बंद कर दी गई थी, वो टाइम दिया था कि कल 12:00 बजे तक करनी है, तो वो कल 12:00 बजे तक उनकी रिस्टोर हो गई है, रिकॉर्ड पर आया है।

माननीय अध्यक्षः सौरभ जी, एक सेकेंड बैठिए प्लीज, एक सेकेंड माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन): कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है तीनों नगर निगमों में, उनको नियमित किया जाए। आज डायरेक्टर लोकल बॉडिज जो हमारे हैं, यूडी सेक्रेटरी भी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको आदेश दे दिया गया है कि तीनों नगर निगम को इसकी डायरेक्शन दी जाए और ये आदेश पारित कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः श्री सौरभ जी।

माननीय उपराज्यपाल के कार्याल से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की सरकार को कि कुछ दिनों पहले ही हमने इस सदन के अंदर ये रेजॅल्यूशन मूव किया था, संकल्प मूव किया था कि दिल्ली की सरकार एल.जी. के बारे में हमारे जो एल.जी. साहब है; अनिल बैजल साहब, उनके बारे में एक अधिकारिक तौर पर एक रिपोर्ट रखें कि एल.जी. साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली के अंदर क्या कांट्रिब्यूट किया। मैं बाहर कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट आई है, मैं उनको बता रहा था, ये आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट नहीं आई है, ये एक सरकार की अधिकारिक रिपोर्ट आई है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री, एमएलएज तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये जो पहले नजीब जंग थे, वो काम रोकते थे। अब अनिल बैजल काम रोकते हैं। हम लोग तो बहुत दिनों से कह रहे थे। कल सरकारी आँकड़े सरकारी फाइलों से सीधे आँकड़े आए हैं कि कैसे हमारी दिल्ली के एल.जी. साहब दिल्ली के विकास कार्यों को, गरीबों के विकास

कार्यों को जिसके अंदर गरीबों का लाभ है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए लोन मिल जाए, गरीब लोग तीर्थ यात्रा पर जा सकें। गरीब लोगों को घर पर राशन मिल जाए। ये सारी चीजें जो सीधा–सीधा गरीब के महत्व के लिए थी उन चीजों को कैसे एल.जी. साहब किसी न किसी बहाने से उसके अंदर टाँग अड़ाते हैं, उसके ऊपर ऑब्जैक्शन लगाते हैं। मैं जब मनीष जी अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे कि एल.जी. की रिपोर्ट कार्ड है तो मैंने भी पूछा कि भई बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आती है तो रिश्तेदार भी ये पूछते हैं, भई, छोरा पास हो गया, न हुआ। यहीं पूछते हैं ना कि पास हुए या फेल हुए एल.जी. साहब। मनीष जी मुस्कराये मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि सदन के अंदर ये चर्चा होनी चाहिए कि अनिल बैजल जी सरकार की रिपोर्ट कार्ड में पास हैं या फेल हैं या कंपार्टमैंट आई है। अगर कंपार्टमैंट आई है तो उनको फिर मौका मिलना चाहिए एक बार रिटेस्ट देने का। अगर दो सबजैक्ट में कंपार्टमैंट आए तो रिटेस्ट दिया जाता है। मगर ये तो मुझे लगता है कि काफी सारे सब्जैक्ट्स में उन्होंने एग्जाम दिया है और अच्छी बात ये हैं कि एग्जाम की जो रिपोर्ट कार्ड दी है, वो भी एजूकेशन मिनिस्टर ने दी है। तो बिल्कुल 15 सब्जैक्टों के अंदर इन्होंने एग्जाम दिया है और ये 15 के अंदर, 15 में से 15 के अंदर फेल हुए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे को तो मुझे लगता है कि फेल नहीं करना चाहिए, स्कूल से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे की संगत के अंदर तो और बच्चे भी बर्बाद हो जायेंगे। तो ये जो बाकी बच्चे हैं हमारे, इनकी संगत में जो है विजय कुमार जी हैं, सीएस साहब है, बाकी इतने सारे उच्च अधिकारी है। ऐसे 15 में से 15 सबजैक्ट में फेल होने वाले महान स्टूडेंट के साथ तो ये लोग भी फेल होना शुरु कर देंगे। तो मेरी सदन से ये गुजारिश है कि इनको स्कूल से निकाला जाए और किसी अच्छे समझदार बच्चे को इसमें

लाया जाए ताकि अगले साल जब ये सरकार रिपोर्ट पेश करे तो उसके अंदर ये बच्चा पास हो, कम से कम एक–दो सबजैक्ट में। तो पास हो। मैं कल अध्यक्ष जी एनडी टीवी के अंदर एक बहस के अंदर मुझे बुलाया था। बड़े दिनों के बाद मौका मिला था टीवी पे जाने का। तो मैं एंकर से सर्विसेज के बारे में बता रहा था, वो मुझसे पूछ रही थी कि भई, ये जो राशन के अंदर घोटाला हुआ है। ये तो तुम्हारी सरकार का घोटाला है। इस पर तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई और जिम्मेदार है। नगमा जी थी एंकर, साढ़े आठ बजे का शो था। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि ये जो राशन घोटाला है, ये तो आप हमें बता रहे हो और हम आपको ये एक–डेढ़ साल से बता रहे हैं कि राशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। हमारे विधायक बैठे थे संजीव झा, उन्होंने राशन की दुकान सील कराई कि यहाँ घोटाला हो रहा है। नजीब जंग साहब ने उस सील दुकान को डिसील करा दिया। उल्टा इसके ऊपर एक केस लगा दिया गैर–कानूनी तरीके से डिसील कराई उन्होंने। एक और बैठे है मनोज, कोंडली में वो 13 दुकानों के पीछे पड़े हुए थे दुकानदारों ने इनके खिलाफ मुकदमा करा दिया, परसों बरी हो गए, कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। ये जरनैल सिंह बैठे है। इन्होंने राशन की दुकानें सील कराई। मैंने अपने इलाके में खुद राशन की कई सारी दुकानें सील कराई, सील हो जाती हैं कुछ दिनों बाद अफसरों की मिली–भगत से दोबारा खुल जाती है। वही राशन का आदमी, वही दोबारा राशन करता है।

चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया हुआ था, मुख्यमंत्री निवास पे। हमने ये बोला कि ये विधायक चीफ सेक्रेटरी से कब से कह रहे हैं कि राशन में दिक्कत है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। एल.जी. साहब कह रहे थे, नहीं राशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। राशन की

तो कोई समस्या ही नहीं हैं। अब कैग की रिपोर्ट आ गयी। कैग की रिपोर्ट के अंदर आ गया कि राशन जो है, एफसीआई के गोदाम से राशन की दुकानों तक ही नहीं पहुंच रहा। जब एफसीआई की दुकान से राशन की दुकान तक ही नहीं पहुंच रहा, तो लोगों के घरों तक कैसे पहुंच रहा होगा। फिर कैसे उस वक्त एल.जी. साहब ने और चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि राशन में कोई समस्या ही नहीं थी। हमारा सवाल भी लगा हुआ था, इस बार, उसमें भी यही कहा कि कोई समस्या नहीं थी, बहुत बढ़िया चल रहा है और यहाँ पे कैग की रिपोर्ट के अंदर आ गया, तो एल.जी. साहब झूठ बोल रहे थे, उनके अफसर झूठ बोल रहे थे। वो सारे के सारे टीवी एंकर जिन्होंने हमारे एमएलएज को आरोप लगाए वो झूठ बोल रहे थे। अब रही बात इस अफसर की, ये अफसर जो राशन डिपार्टमेंट के अंदर पिछले दो साल से बैठे हुए हैं, इनको नजीब जंग साहब लगा के गए थे। पिछले दो सालों में मुख्यमंत्री एल.जी. साहब से कई बार कह चुके कि हमें लगता है, उन्हें लगता है कि ये अफसर जो है बेईमान है, बेईमानी कर रहा है, राशन में घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद एल.जी. साहब से स्वयं मिले हैं व्यक्तिगत तौर पे और कहा है कि इस अफसर को बदलो। के.आर. मीणा नाम है, उनका। ये भ्रष्टाचारी हैं, एल.जी. साहब ने उनको नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, एल.जी. साहब की क्या सांठ गांठ हैं या जो बंटता है वो ऊपर तक जाता है। इसका जवाब तो एल.जी. साहब को देना पड़ेगा, तो मैं जब उनको नगमा जी को समझा रहा था। मैंने कहा जी ऐसा है कि ये चोर और महाचोर है और मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, मंत्री के पास भी सबूत है, मगर हम इनका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन अफसरों के ऊपर जो कार्यवाही है, चाहे इनको मेमो देना हो, चाहे इनके ऊपर डिसप्लीनरी एक्शन लेना हो, इनको सस्पेंड करना हो, इनको ट्रांसफर करना हो, इनके ऊपर अपराधिक मुकदमा चलाना हो, इनका केस ए.सी.बी. में देना हो कुछ

भी करना हो इनको, ये सारे का सारा काम सिर्फ एल.जी. कर सकते हैं क्योंकि सर्विस उनके पास है, तो नगमा जी कहे अरे ये तो आपने कभी बताए नहीं। मैंने कहा मैडम हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये, आपको पता ही नहीं चला अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा ही है हमारा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये हमारी छाती पर बैठे हुए हैं और इनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो समझी नहीं, तो जब ब्रेक हुआ मैने कहा ऐसा है, जैसे आपके एनडी टीवी में रविश कुमार है न, वे कह रहे हैं हां। मैंने कहा रविश कुमार को प्रोग्राम करना है 9.00 बजे और वो प्रोग्राम करने से पहले इजाजत किससे लेनी है उसको, अंजना ओम कश्यप से लेनी है, तो होगी इजाजत, नहीं होंगी न। अंजना ओम कश्यप कहेगी, इसमें ये ओब्जेक्शन है और रविश कुमार 9.00 बजे का प्रोग्राम नहीं करेंगे। यही हमारी टीवी में हमारे साथ हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे राजीव सरदेसाई को प्रोग्राम करना है साढ़े दस बजे और कॉपी चैक करेगा अर्णव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी कह रहा है मैं दंगों पे आज बात करना चाहता हूँ, अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं नो, इसमें ओब्जेक्शन है मुझे वापस भेज दो, तो साढ़े दस बजे का शो नहीं होगा राजीव गोस्वामी का और न ही रविश का होगा। हमारे साथ ये समस्या है। हमारी सरकार के साथ ये समस्या है कि चुनी हुई सरकार जो भी काम करेगी, ये पॉलिटिकल समस्या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है। ये कांस्ट्टि्यूशनल समस्या है। हमारी सरकार जो भी काम करेगी, उसको यस और नो कहने वाला जो आदमी है अनिल बैजल, वो हमारे राजनीतिक प्रतिद्धंद्धी का आदमी है, हमारे पॉलिटिकल एडवर्सरी, हमारी जो पोलिटिकल एडवर्सरी है बीजेपी उनका लगाया हुआ एक अफसर हमको बतायेगा कि हमको क्या काम करना है, हमको क्या काम नहीं करना। ये तो कांस्टीट्यूशनल ही उल्टा पुल्टा हिसाब–किताब है। हमारा दुश्मन हमें अच्छा काम क्यों करने देगा? वो तो वो काम करेगा, जिससे उसके आका

का फायदा होगा, तो ये कांस्टीट्यूशनल दिक्कत है। साधारण आदमी को बताना चाहें; मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अफसरों की भर्ती नहीं हो रही है। किसका काम है? एल.जी. साहब का काम। साधारणतः इसको समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि मेरे पास एक कार है। मुझे कहा गया है कि आपको जो काम करना है, आपको अपनी कार में करना है और वो कार मुझे दे दी गयी है और उस कार में एक ड्राइवर दे दिया। अब मेरा सुबह का काम ये है कि मुझे अब चाँदनी चौक जाना है। ड्राईवर कौन हैं? अंशु प्रकाश जी ड्राईवर है। सीनियर आईएएस आफिसर, तो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो पीछे बैठे हैं, वो अंशु प्रकाश जी से कह रहे हैं कि माननीय ड्राईवर जी, मुझे चाँदनी चौक ले चलिये। अंशु प्रकाश जी ने कहा, यस सर, और वो उनको हौजखास ले गये। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, 'ये कहाँ गये?' उन्होंने बोला, सर, ये हौजखास है। उन्होंने बोला, नहीं–नहीं, माननीय अंशु प्रकाश जी, मुझे चाँदनी चौक ले चलिये। उन्होंने बोला, यस सर, और वे हौजखास से शुरु हुए बादली ले गये। मुख्य मंत्री बैठे हुए कह रहे हैं कि भई क्या हो गया? ये सुबह से दोपहर हो गयी बादली ले आए मुझे। माननीय अंशु प्रकाश जी, मुझे चाँदनी चौक जाना है। वो कह रहे हैं, यस सर, अब वो तिमारपुर ले गए, पंकज पुष्कर जी के यहाँ। अब जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं, भाई ये ड्राईवर जो है, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, इसका मैं क्या करूँ? सुबह से शाम हो गयी, 11.00 बज गये। मुख्यमंत्री ने कहा, अंशु प्रकाश, सुन, अब तू मुझे चाँदनी चौक ले चल। तो वो सीधा गाड़ी से उतरा और एल.जी. के पास चला गया, कह रहा है जी मुझे मारा, मुझे पीटा और रात को 11.00 बजे घर में बुलाके पीटा। तुम्हें जो काम सुबह करना था, तुमने सुबह से लेकर शाम कर दी, शाम से लेकर रात कर दी। एक आदमी को जहाँ जाना था, तुम उसको लेके नहीं गये, वो अगर तेरे को रात को पूछ रहा है कि भाई तू मुझे कहाँ

ले जायेगा, तो तुम एल.जी. के पास चले गए कि मुझे मारा–पीटा। हमारी सरकार के साथ ये हो रहा है।

आपको एक फैक्टरी दे दी गयी है, आपको कहा गया कि इस फैक्टरी के अंदर आपको काम करना है, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट के अंदर आपको सेल करनी है, ये काम दिया है आपको। आपने कहा, साहब, आपने मेरे को फैक्टरी तो दे दी, मगर इस फैक्टरी के अंदर वर्कर ही नहीं हैं। कह रहे हैं, नहीं–नहीं, जो वर्कर लगाने का काम, ये आपका नहीं है। इस फैक्टरी के अंदर वर्कर लगाने का काम आपके एक दुश्मन का है, तो वो आपकी फैक्टरी में वर्कर क्यों लगायेगा? आपकी फैक्टरी में तो मशीन ही मशीन रहेंगी, वर्कर रहेंगे ही नहीं, ये सर्विसेज का हाल है। आपके यहाँ इतनी लंबी लिस्ट है वैकेन्सीज की और मैं सोचता हूँ ये एक आइडियल सिचुएशन है, दिल्ली जैसे प्रदेश के लिए, हिन्दुस्तान जैसे देश के लिए जहाँ पे ढेरों अनएप्लाएमेंट है। इतना बुरा हाल है अध्यक्ष जी, हमारे पास नौकरी देने का कोई तरीका नहीं है। मैं चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा. एल.जी. साहब अगर मेरी बात सुन रहे हो, मैंने सुना है, अखबार में आ जाता है; दैनिक जागरण में कि आज कल वो सुनते हैं कि हम क्या बोलते हैं उनके बारे में। तो एल.जी. साहब मेरी आपसे एक निवेदन है, मैं आप ही की कंस्टीट्यूएंसी में रहता हूँ ग्रेटर कैलाश में। वो वाला कैमरा है, कृपया करके आप एक दिन मेरे आफिस के अंदर आएं और देखें कि उस आफिस में क्या तमाशा होता है। मतलब इतने परेशान और दुःखी लोग हैं, आप दो घंटे उस आफिस में बैठ जाओ, आपका सर दर्द करने लगेगा। राजेन्द्र गौतम जी कह रहे थे कि सर, क्यों दबा रहे हो? मैं दो तीन घंटे बैठा हुआ था अपने आफिस में। लोग इतने परेशान हैं, किसी का स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि विधायक जी, कहीं पे कराओ। किसी

का ईडब्ल्युएस के अंदर नाम आ गया। प्राईवेट स्कूल दादागिरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देंगे एडमिशन। नाम के अंदर स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, भगा दिया। एक गरीब आदमी जिसका ब्लूवेल जैसे बड़े स्कूल में नाम आ गया, वो गरीब ड्राईवर एक दिन की नौकरी छोड़ के अपनी, स्कूल का एडमिशन कराने गया उसको बोला, नाम के अंदर दिक्कत है। वो ड्राईवर कहाँ कहाँ भागेगा, किस अफसर के पास जायेगा। कहाँ जायेगा, कोई नहीं सुन रहा है उसकी। वो ले देके विधायक के पास जाते हैं, विधायक बेचारा चिट्ठी लिख देता है, चिट्ठी लेके वो घूमते रहते हैं। कोई आ गया, बेचारा यूपी से आ गया, उसको ओपन हार्ट सर्जरी बता दी। उसके बाप... वे लेके जीबी पंत पर खड़ा हुआ है चौथे फ्लोर पे। वो फोन कर रहा है, विधायक जी, मेरा ऑपरेशन करा दो। लोग इतने दुःखी हैं अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि अनिल बैजल साहब आप इस बात को समझो, इस देश में सब मरते हैं, इस दुनिया में सब मरते हैं, कोई यहाँ पे अमर नहीं हैं और सब लोगों को कुछ कुछ बीमारियाँ होती हैं और वो गुजरते हैं, आप इस बात को समझो कि आपको भी भगवान के जाना है। आपको हमसे पहले जाना है। हमारी उम्र तो कम है, आपको हमसे पहले जाना है भगवान के पास। आप एक बार मेरे आफिस में आओ और देखो जनता कितनी दुःखी है। लोगों के बच्चे 38–38 साल के हो गए हैं, वो कहते हैं जी 40 साल का हो जायेगा, फिर इसकी नौकरी नहीं लगेगी, कहीं नौकरी लगवा दो इसकी। इसने टीजीटी कर रखी है, इसने पीजीटी कर रखी है, पता नहीं क्या–क्या कर रखा है। इनकी नौकरी लगवा दो। इस देश में इतनी आइडियल सिचुएशन है दिल्ली में, अध्यक्ष जी, हमारे पास कि हजारों लाखों लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कह रहे हैं, हमें नौकरियाँ दे दो और हजारों लाखों वैकेन्सियाँ हैं, जिसमें सरकार कह रही है कि इसमें हमें आदमी दे दो। आपके पास नौकरियां हैं, आपके पास बेरोजगार लोग हैं। आपके पास एक सरकार है, जो कह

रही हैं कि हम इनको तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं, आप इनकी भर्ती करो, आप भर्ती नहीं कर रहे। आपके पास डिपार्टमेंट है सर्विसेज, आपका काम है लोगों को नौकरियां देना उसके अंदर। बेरोजगार लोग भटक रहे हैं। आप लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं लोगों की। ये काम तो मानवता का काम है। इसके अन्दर कॉंग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहाँ आ गयी? मैं ये वैकेन्सीज देख रहा था अध्यक्ष जी। इंगलिश पीजीटी का लिखा हुआ था 500 कुछ बाकी हैं। सोशल वेल्फेयर, शुरु से मैं आपको थोड़ी एक दो चीजें मोटे–मोटे तौर पर बताऊँगा। एजूकेशन के अन्दर ही मैं देख रहा था, इंगलिश लेक्चरार 305 खाली हैं। हिन्दी लेक्चरार 360 खाली हैं। टीजीटी इंग्लिश 565 खाली हैं। टीजीटी मैथ्स, कहते हैं मैथ्स में बच्चे फेल हो रहे हैं, मैथ्स बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे! टीजीटी 565 तो वैकेन्सी पड़ी हैं, बच्चे फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे। कोई पढ़ाएगा तभी तो पास होंगे। आगे देखिए, टीजीटी कम्प्यूटर साईंस खाली हैं। स्पेशल एजूकेशन टीचर 614 खाली हैं। हाईकोर्ट बोलता रहता है स्पेशल एजूकेशन के लिए कुछ करो। यहाँ पर पोस्ट खाली हैं, कोई भरने के लिए तैयार नहीं है। हर महकमे के अन्दर, अब हमारे लोग जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में जाते है। हम बोलते हैं, तहसीलदार जो है, ये महाभ्रष्ट तहसीलदार है। ये दो बार सस्पेन्ड हुआ है, अलग–अलग करप्शन के लिए। इसको हमारे पास दुबारा क्यों भेज दिया तुमने? इसको कहीं और भेज दो। इसको कुंए में डाल दो। इसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दो। इसको हमारे यहाँ क्यों भेज दिया तुमने? डिवीजनल कमिश्नर बोलती हैं, सर, लोग ही नहीं है। यही है चोर हमारे पास, कुछ इन्हीं को घुमाते रहेंगे। कभी आपके यहाँ भेज देंगे, कभी विशेष रवि के यहाँ भेज देंगे फिर इसके यहाँ भेज देंगे। मदनलाल जी के यहाँ भेज देंगे। इन्हीं चोरों से काम चलाना है आपको। क्योंकि हमारे पास यही है। यह अधिकारिक बयान है। डिवीजनल कमिश्नर का कि यही चोर है जी, हमारे पास। इन्हीं

से कर लो और वैकेन्सीज खाली हैं। तो वैकेन्सीज क्यों नहीं भरी जा रही है? इसीलिए नहीं भरी जा रही है क्योंकि चोरों से काम कराना है।

अध्यक्ष जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आखिरी बात कहके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। मीना जी, जो हैं वो राशन डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी हैं करीब दो साल से। राशन में भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है। हमने खूब कोशिशें कर लीं, खूब दुकानें सील करा ली, खूब हंगामें करा लिये।

हमने राशन की होम डिलीवरी का प्रपोजल दिया। एल.जी. साहब ने रिजेक्ट कर दिया। क्या ये सामान्य सी बात हमारे पत्रकारों को समझ में नहीं आ रही है। समझना नहीं चाहते कि जिस डिपार्टमेन्ट में इतना भ्रष्टाचार है, उसमें एल.जी. साहब राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं चाहते। क्योंकि राशन की होम डिलीवरी होगी तो वो जो राशन का माफिया है, बेरोजगार हो जाएगा। जो कमीशन आ रहा है, वो कमीशन आना बन्द हो जाएगा। जो अधिकारी है जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री तीन बार एल.जी. को कह चुके हैं कि इस अधिकारी को हटाओ। उस अधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जब हमारे पास एक साल सर्विसेज था, हमारे ऊपर कभी आरोप नहीं लगा अध्यक्ष जी, कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग के अन्दर पैसे खाते हैं। मगर आज तो रेट बंधा हुआ है। आज तो एल.जी. ऑफिस के यहाँ रेट है। आपको उस डिपार्टमैन्ट में पोस्टिंग लेनी है– इतने लाख, उस डिपार्टमैन्ट में देनी है–इतने करोड़। जब आप अफसरों से ही पैसे लेके उनकी पोस्टिंग करोगे तो अफसर भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे। एल.जी. साहब के यहाँ तो पैसे जा रहे हैं। अब खुल्लम–खुल्ला ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एल. जी. आफिस के अन्दर पैसे का लेन देन हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग इसीलिए पकड़ के बैठे हुए हैं और लाख बार कह दो कि इस अधिकारी को हटाओ। हटाते ही नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जी, आपने करप्शन के बारे

में कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं बोल रहा हूँ, भइया, करप्शन के लिए क्या कर दें? कम्प्लेन्ट कर दी, कुछ नहीं हुआ। बुलाया विधान सभा के अन्दर। पूरी कमेटी के आगे तफ्तीश कर ली, इन्क्वायरी कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली, रिपोर्ट दे दी। विधान सभा ने एडॉप्ट करके बोल दिया कि हाँ, ये अधिकारी भ्रष्ट हैं। इनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। एल.जी. साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर एल. जी. कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक बात है। उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए उसको वकील दे रहे हैं, दूसरी बात है। उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आर्डर्स पास कर रहे हैं, तीसरी बात है। उस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्दर, हाईकोर्ट के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का वकील खड़ा हो रहा है। ए.एस.जी. खड़े हो रहे हैं, ये तो खुल्लम–खुल्ला हो रहा है। इसमें छुपाने की क्या बात है। अगर फिर भी अगर एन.डी.टी. वी. पर नगमा जी मुझसे पूछ रहीं है कि जी, आप क्या नहीं कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है या तो मेरा ही दिमाग खराब है कि इनको अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है, हम चीख–चीख के पागल हो गये। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। या ये जितने पत्रकार यहाँ पर आते हैं, वो टाईम पास करने आते हैं। मतलब क्या डेमोक्रेसी है। खुल्लम–खुल्ला चोरी हो रही है। मैं आपको, विधायकों को, अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो पत्रकार हैं और ये जो मीडिया है, ये आप लोगों की बात घर–घर तक नहीं पहुँचाएगा। आप लोगों को ही छोटी–छोटी मोहल्ला सभाएं करके जैसे हमने 2015 में किया था। 2015 में भी हमको आठ सीट देते थे, दस सीट देते थे। ये हमारे खिलाफ हैं। आप लोगों को मोहल्ला सभा करके घर–घर जाके ये बात बतानी पड़ेगी कि एल.जी. भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। हमने कई रिपोर्ट दे दी। हमने कई सबूत दे दिये। एल.जी. साहब उनके सरगना बनके बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचारी अफसर उनको अपना नेता मानते हैं।

वो उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारे पास छोटे–मोटे पालिसी मैटर हैं, वो पॉलिसी लाते रहते हैं। मनीष जी स्कूल के लिए पॉलिसी ले आते हैं। सत्येन्द्र जैन जी दवाओं के लिए लाते हैं। फिर किसी ने सोचा कि यार! राशन के अन्दर चोरों का तो कुछ कर नहीं सकते। चलो पॉलिसी बना देते हैं। कुछ ऐसा कर देते हैं। पहला तरीका तो यही था कि चोरों को पकड़–पकड़ के जेल में डालो। मगर आप जब चोरों का कुछ कर ही नहीं सकते। वो लोग कहते हैं जी, हमें मार दिया तो आप पॉलिसी बनाओगे। कोई ऐसी राशन की सीधा फूड कार्पोरेशन के गोदाम से पैक होके लोगों के घर जाएगा, उंगलियों के निशान से ही पता चल जाएगा, इसको मिला, इसको नहीं मिला। तो ये पॉलिसी के अन्दर एल.जी. साहब टाँग अड़ाते हैं। ये बात हमको घर–घर जाके बतानी पड़ेगी। तभी इस पूरी की पूरी समस्या का हल होगा और मीडिया को हमने एक बार नहीं, अब तक दो बार हराया है। 2013 में भी हराया था इन्हें और 2015 में भी हराया था। हमको इस बार दुबारा से मीडिया को 2019 में और फिर 2020 में हराना है। आप सब लोग घर–घर जाओगे, तभी ये हो सकता है।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे मालूम है ये बातें अखबार में नहीं छपेंगी। किसी टी.वी. में नहीं दिखाई जाएंगी। मगर हमारे पास यही मौका है अपनी भड़ास निकालने का। हमने निकाल ली, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मनीष सिसौदिया जी ने बहुत विस्तार में लिखित में इस एल.जी. साहब की जो जिम्मेदारियाँ हैं, उसकी रिपोर्ट को बिल्कुल तारीखों के साथ, फाइल नम्बर के साथ पूरे सदन को सूचित किया जिससे हमें अपनी जनता को भी सूचित करने में, जानकारी देने में जो है, बहुत

मदद मिली। खासतौर से उन लोगों को जो ये कहते थे कि आप एल. जी. साहब से हमेशा उलझते क्यों है, अब उन्हें भी समझ आ गया कि उलझना हमारी मजबूरी है और वो मजबूरी हम अपने वेतन के लिए नहीं उलझ रहे हैं। हम उलझ रहे हैं जनता की जो जरूरतें, मांगे हैं, उस पर रोड़ा अटकाया जा रहा है। जनता को समझ आ चुका है कि भारत राजधानी का बहुत छोटा सा एक राज्य है जिसमें एक ही नहीं, एक साथ चार–चार सरकारें काम कर रही है। पहली सरकार केन्द्र की भाजपा सरकार, दूसरे नम्बर पर हमारे सर पर बैठाए हुए एल.जी. साहब की सरकार जिनके पास पूरा जमीन, कानून–व्यवस्था, पुलिस ये सब मामले सर्विसेज के आते हैं। तीसरे नम्बर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार आती है और चौथे में एमसीडी आता है। दिल्ली खुद त्रस्त है कि दिल्ली में अगर एक सरकार हो जिसके पास जाकर उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएं। हम लोग तो डोर–स्टेप डिलीवरी तक सोचते हैं लेकिन परेशानियाँ ये आती हैं कि एल.जी. साहब अपने विभाग को तो सम्भाल नहीं पा रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में पूरी तरह से साफ हो चुका है, अपने विभाग तो सम्भाल नहीं पाए लेकिन दिल्ली सरकार के हर विभाग, हर काम में पूरी तरह से वो रोड़ा अटकाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। मैं बार–बार ये बात दोहराती हूँ कि एल.जी. साहब का क्या इन्टरेस्ट है। ये अधिकारियो का... साफ बात है एल.जी. साहब इनका कोई इन्टरेस्ट नहीं है अधिकारियों का जो सरकार की फाइलों पर हमेशा ऑब्जेक्शन लगाते थे और एक शब्द लिखते थे, 'ये सम्भव नहीं है।' 'ये सम्भव नहीं है।' आपको इसलिए नहीं बिठाया कि आप ये सिर्फ लिख दीजिए, 'हो नहीं सकता ये।' 'ये नहीं हो सकता।' इस रास्ते से नहीं हो सकता तो दूसरे रास्ते बताइए। लोगों के घर तक राशन तो पहुँचना है। लोगों के घरों पर अगर हम लोग बिजली पानी, सीवर, सड़क दिल्ली सरकार की वाहवाही हो रही है लेकिन एल.जी. साहब से जब हम पूछते हैं, खासतौर

से नगर निगम और पुलिस को लेकर। अध्यक्ष जी, मैं आज सुबह एस.एच. ओ. तिमारपुर से मेरी बात हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड सब चीज तथ्य रखूँगी सदन के सामने। एक विधवा माँ, छह बेटियाँ हैं जिसकी, वो मेरे पास आईं। कल मेरे दफ्तर पर रो रही थी कि वो एक कमरा बना रही है। उस कमरे को बनाने के लिए एक पुलिस वाला जो है, जिसका नाम भी आप चाहेंगे अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल दूँगी क्योंकि उस मां–बाप की रिकार्डिंग भी है। क्योंकि एल. जी. साहब नहीं मिलते पब्लिक से। एल.जी. साहब तक पहुँचना इस माँ के लिए बहुत सम्भव नहीं है। वो हमसे उम्मीद करती है। हम पर आती है कि पुलिस वाला 15 से 20 हजार रुपए मुझसे एक कमरा डालने के लिए वो माँग रहा है। मैं अपनी बेटियों को छत देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि नगर निगम ने ऑब्जेक्शन लगाया है, 'अवैध है।' बड़ी–बड़ी इमारतें बन रही हैं। मैंने आपको संत परमानंद अस्तपाल का भी उदाहरण बताया। कोई नगर निगम, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है लेकिन एक विधवा माँ अपनी बेटियों को छत देने के लिए, छह बेटियों के लिए छत करती है तो पुलिस वाला 15 से 20 हजार रुपये माँगता है और उसके बाद मैंने एसएचओ से बात की। उन्होंने कहा, माँ–बेटी को मेरे पास भेज दीजिए। मैंने कहा एसएचओ साहब माँ–बेटी को आपके पास भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो पुलिस वाला है, इसे आप कह दीजिए, दोबारा से वहाँ फटकेगा नहीं। अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि नगर निगम की तरफ से, क्योंकि हमें तो यही कहा जाता है, जहाँ कोई अवैध निर्माण चल रहा होता है, पुलिस यह कहती है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। यह नगर निगम का काम है, नगर निगम लिख कर देगी, हम फोर्स देंगे बस। लेकिन इस माँ के घर में क्यों बार–बार पुलिस पहुँच जाती है। एल.जी. साहब से पूछने गए थे। एल.जी. साहब ने बताया नहीं है। यह एएसआई जिसका नाम है उमेश कुमार। उमेश कुमार, एएसआई, तिमारपुर थाने में लगे हुए हैं। खुलेआम

कहीं इमारत का पत्थर लगता है, यह उगाही के लिए पहुँच जाते हैं। कहीं एमसीडी और दिल्ली पुलिस की शह के बिना कुछ नहीं चल रहा और दोनों विभाग की मजबूरी, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं रेवेन्यू पर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट रखी है मनीष जी ने। वक्फ बोर्ड का जो है, इसको भंग कर दिया गया, अध्यक्ष जी, 07 अक्टूबर, 2016 से, आज हम 2018 में आ चुके हैं। दो साल से वक्फ बोर्ड को एल.जी. साहब ने भंग कर दिया, क्यों भंग किया, यह आपके अधीन विभाग आ रहा था, नहीं आ रहा था, उस वक्फ बोर्ड को भंग करने के बाद जो है, बिना किसी कारण भंग कर दिया गया और उसके बाद 21 नवंबर, 2017 को लगभग–लगभग एक साल बाद जब एल.जी. साहब दोबारा वक्फ बोर्ड का गठन नहीं करते हैं और यह समझ आता है कि 991 लगभग–लगभग एक हजार प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के अधीन आती हैं, जिस पर इल्लीगल कब्जा करके उसका जो है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सी विधवाएं और इमाम जो इन वक्फ बोर्ड, मस्जिदों को रन करते हैं, उनकी सैलरी नहीं आ रही, विधवा बहनों की पेंशन नहीं जा रही है तो दिल्ली सरकार ने चिंता जताई कि एक साल पहले 2016 में भंग किया था। तो 2017 में 22 महीने के बाद, इंतजार के बाद जब वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया तो दिल्ली सरकार ने दोबारा फाइल भेजी, सदस्यों के नाम के साथ और उसके बाद 28 तारीख को उसी महीने फाइल एल.जी. साहब से जो है, वो कुछ क्वैश्चन, ऑब्जेक्शन लग कर वापस आ गई। उसके बाद दोबारा से एक महीने के अंदर सीएम ने उन सभी, दिल्ली सरकार ने जवाब देते हुए वक्फ बोर्ड की उस फाइल को वापस अप्रूवल के लिए एल.जी. साहब को भेजा। एल.जी. साहब ने 19 दिसंबर को जो है, उसके ऊपर हाई कोर्ट का हवाला दिया कि हाई कोर्ट

में वक्फ बोर्ड का कोई केस चल रहा है, इसलिए हम इसका गठन नहीं करेंगे लेकिन हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर कोई भी अध्यक्ष जी, अगर मामला चल रहा है तो क्या हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में बेशक तमाम मामलों की सुनवाई चल रही होगी, पर हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा, जब तक मामले की सुनवाई या वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी जाती है, ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन एल.जी. साहब ने और कानून मंत्रालय से सब की राय लेकर यह कहा गया कि हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, वक्फ बोर्ड का दोबारा गठन होना चाहिए। लगभग एक हजार प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियाँ हैं, जिस पर अवैध कब्जे करके, इल्लीगल तरीके से काम चलाए जा रहे हैं, दुकानें चलाई जा रही हैं, जिसका किराया दिल्ली सरकार को आना चाहिए था। बहुत सी विधवाओं की पेंशन जाती थी, बहुत से इमाम और इनकी पेंशन रुकी हुई है, इस पर जवाब, ये आज तक एल.जी. साहब देते नहीं है। आज हम सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है, यह आपसे छिपा नहीं है। आपके डीडीए की...

मैं आपको निगम बोध घाट का उदाहरण देती हूँ निगम बोध घाट पर अध्यक्ष जी, जितने भी पार्क हैं, वो डीडीए के पार्क हैं और डीडीए की जमीन है पूरी की पूरी, सारे डीडीए के पार्कों की हालत इतनी बुरी है और वहाँ पर पूरे तरीके से जो है, नशे के अवैध जो है सारे के सारे अड्डे बन चुके हैं। एल जी साहब को लिख–लिख कर दे दिया है लेकिन एल.जी. साहब ने अपनी डीडीए की जमीनों को नशा माफियाओं से बचाने के लिए एक कदम नहीं उठाया। मैं कितनी बार उनके पास गई हूँ। इतना ही नहीं, संत परमानंद की जमीन का लैंड यूज एल.जी. साहब ने बदला है। एल.

जी. साहब के दफ्तर ने बदला है क्योंकि वो पूरी बेल्ट रिवर बेल्ट है। रिवर बेल्ट जितना भी है, वो डीडीए की जमीनें हैं, जिसका लैंड यूज जो है, बहुत आसान नहीं है अध्यक्ष जी करना। लक्ष्मी नगर में एक इमारत इसीलिए पूरी ढह गई थी क्योंकि वो रिवर बेल्ट से बहुत नजदीक बनी थी। नींव खोखली या रेत भरी पड़ी है लेकिन इतना बड़ा संत परमानंद का हॉस्पिटल बन रहा है जिसकी नींव जो है, फाउंडेशन खुद एल.जी. साहब के दफ्तर ने, एल.जी. साहब ने रखा था। वो लैंड यूज रातोंरात बदला है अध्यक्ष जी। कागज खुलवा लीजिएगा कि किस तरह से जो है, रिवर लैंड को डीडीए की लैंड में लैंड यूज बदलकर एक अस्पताल खड़ा कर दिया है। आज इनके भ्रष्टाचार पर, और मैं तारीफ करती हूँ इस सरकार की कि पहली बार सदन में यह माहौल था कि सब के पास कैग (सीएजी) की रिपोर्ट थी। हम सब ने रिपोर्ट के पन्नों को एक–एक जैसे जैसे उप मुख्यमंत्री साहब बताते गए, हमने खोला। आज इसी सरकार को घेरने के प्रयास मीडिया में किए जा रहे हैं राशन के नाम पर, कोई दूसरी हिंदुस्तान की सरकार दिखा दीजिए जो अपनी ही रिपोर्ट को, खास तौर से जब उसमें दिखाया गया हो कि किस तरह से अधिकारी जो है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट कभी किसी ने कैग (सीएजी) की रखी हो और उस पर चर्चा की हो। यह पहली सरकार है, मैं तारीफ करती हूँ जिसे पता था कि उसमें भ्रष्टाचार के बहुत खुलासे हैं। चाहते तो उस रिपोर्ट को दबा सकते थे कोई नहीं पढ़ता है, कोई टीवी चैनलों पर चर्चा नहीं होती है, आज तक, न हुई है लेकिन यह सरकार की सराहना करती हूँ, हिम्मत दिखाई। पता था भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का चूना देश की जनता और दिल्ली की जनता को लगाया गया है। फिर भी वो रिपोर्ट रखी और इन्हें ही घेरा जा रहा है। सरकार की एक और तारीफ, उन्होंने कहा है हमारा कोई मंत्री,

विभाग, विधायक कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष जी, एक और चिंता, वक्फ बोर्ड के अधीन ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, हैरिटेज सम्पत्ति है। दरारें आ चुकी हैं और उन दरारों के लिए जब एल.जी. साहब से सम्पर्क किया तो बोला कि यह आर्केयोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ऐतिहासिक जामा मस्जिद। वहाँ गए तो उन्होंने मुझे भेजा कि नहीं, यह दिल्ली आर्केयोलॉजिकल सर्वे जो सर्कल है, उसके अधीन आता है। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा, 'नहीं, यह जामा मस्जिद की जो जर्जर हालत है, इसके जिम्मेदार जो है, वो वक्फ बोर्ड है।' वो इमारत में दरारें पड़ रही हैं और इमाम साहब भी खुद जामा मस्जिद के लिख–लिख कर दे चुके हैं और आर्केयोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर दिल्ली आर्केयोलॉजिकल सर्वे का सर्कल जो दिल्ली का है, उससे लेकर वक्फ बोर्ड पर हम लोग आ गए। फाइनल यह हुआ कि यह वक्फ बोर्ड को करना है और वक्फ बोर्ड का गठन एल.जी. साहब ने रोक कर रखा हुआ है। इसमें कहने में दो राय नहीं, बहुत बड़ी साजिश लगती है कि क्यों आप वक्फ बोर्ड की एक हजार सम्पत्तियों पर चाहते हैं कि अवैध कब्जे हो जाएं। क्यों आप ऐतिहासिक जामा मस्जिद को बर्बाद होने देने के लिए खड़े हुए हैं? आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्ष जी, एल.जी. साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह पहली बार हुआ है, दिल्ली सरकार का जब आउटकम बजट रखा गया तो यह पहली बार हुआ कि कितना पैसा दिया गया है, इस पर पीठ नहीं थपथपाई। क्या उतना पैसा जो दिया गया है, इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। इस्तेमाल होने के बाद उसका लाभ लोगों को पहुँचा कि नहीं पहुँचा। यह पहली बार आउटकम बजट में हुआ था। पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार हर

साल अपनी रिपोर्ट जनता के बीच में खोल कर रखती है तो एल.जी. साहब की रिपोर्ट की उम्मीद हम कर रहे थे कि एल.जी. साहब खुद सब को बुलाएंगे, इस तरह की रिपोर्ट पेश करेंगे। आप अपना भी आप नहीं करते कि जमीन, पुलिस, कानून व्यवस्था, सर्विसेज आपके अधीन आती हैं तो कम से कम आप अपनी ईमानदारी के साथ अपनी रिपोर्ट कार्ड खुद पेश करते और अभी भी मैं कहूँगी, यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने पेश की है। मैं एल.जी. साहब को चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ, अगर आपको लगता है एल.जी. साहब, यह पूरी रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है, हम आपको खुली चुनौती देते हैं, इस रिपोर्ट के बदले में अपनी रिपोर्ट पेश करिए और यह साबित कर दीजिए, यह रिपोर्ट झूठी है और अगर यह साबित नहीं कर पाते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत एल.जी. साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन इस रिपोर्ट को एल.जी. साहब नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यह रिपोर्ट इस सदन में सरकार ने रखी और एक–एक विधायक इस रिपोर्ट को लेकर अपने लोगों के बीच में, एक–एक जनता के बीच में जाएगा और एल.जी. साहब को कठघरे में खड़ा करेंगे। वो हर शख्स अध्यक्ष जी, कठघरे में खड़ा होगा, जनता की अदालत में, जो जनता से तनख्वाहें लेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो एल. जी. साहब हों, मुख्यमंत्री हों, मंत्री हो या इस सदन में बैठे एक–एक विधायक हो और या हमारे अधिकारी हो। जो जनता से वेतन लेता है, उसका हक बनता है कि जनता के एक–एक प्रश्न का जवाब दें और एल.जी. साहब को चुनौती है। उम्मीद करते हैं, आप में ईमानदारी होगी एल.जी. साहब, इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। इसे झूठ साबित करेंगे अगर नहीं कर पाए, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यही यह हाउस माँग करता है, धन्यवाद अध्यक्ष जी, जयहिंद।

माननीय अध्यक्षः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मनीष जी को और पूरी सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तीन महत्पवूर्ण कार्य इस बजट सेशन में किए गए। सबसे पहला, जिस तरह से आपने आउटकम बजट पेश किया और आउटकम रिपोर्ट कार्ड पेश की, यह पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने कामों के एवज में यह बताने का प्रयास किया कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ पास हो रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए कि भई वो गोल्स जो सरकार ने सैट किए थे अपने लिए, उसमें कितना सफल हो रहे हैं, यह उन्होंने खुद बताने का प्रयास किया।

दूसरा, टाइम लाइन बजट दिया। ये कहने का प्रयास किया कि भई वो सारे की प्रोजेक्ट्स चाहे वो स्कूल के बारे में हो, हॉस्पिटल्स के बारे में हो, मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में हो, सबके बारे में हर स्टेप का डेडलाइन दिया कि कब टेंडर निकलेगा, कब ये फ्लोट होगा, कब स्वीकार होगा और कब ये ऑन द ग्राउंड उसको रियलाइज किया जाएगा। उसको बजट का हिस्सा बनाया। अपने बजट स्पीच का हिस्सा बनाकर के एक ऐसा नमूना पेश किया हिन्दुस्तान के अंदर जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। ये दिखाती है कमिट्मेंट।

अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बेहतरीन चीज आउटकम रिपोर्ट जो एल.जी. महोदय का आया है, उसके आने के साथ ही पूरी दिल्ली में एक वातावरण बदल गया है। पूरी दिल्ली के अंदर पहले बात चलती थी भई तुम तो सब कुछ टाल देते हो, 'एल.जी ने कर दिया... एल.जी. ने कर दिया।' 'एल.जी. नहीं करने देता।' लेकिन आउटकम रिपोर्ट के अंदर जिस तरह से हर चीज

को बाकायदा डेडलाइन के साथ डेट्स के साथ, कितना महीना डिले हुआ, क्या उनके इनपुट्स आये, क्या कमेंट्स आए और ऐसे कमेंट्स क्यों नहीं आने चाहिए थे, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, इसको बताकर के सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दिल्लीवासियों को और देशवासियों को बता दिया कि भई, एल.जी. महोदय के यहाँ से डिले तथ्यात्मक हो रहा है, फैक्चुअल हो रहा है, हवा में नहीं हो रहा है। तो ये इसके लिए मैं मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है और ये साथ में अध्यक्ष महोदय, चूंकि करीब–करीब जितने भी स्कीम्स के अंदर डिले हुआ है, साथ में लिखा है कि भई, अण्डर 239 एए(5) और आपका टीएफआर का रूल–49 और रूल–50 के कारण एल.जी. साहब के पास ये पॉवर नहीं है तो वो क्या है? रूल 239 एए(5) अध्यक्ष महोदय कहता है कि ***'The moment, there is a decision to be taken by the L.G., it has to be in… there shall be a council of ministers consisting of not more than 10 percent, the total number of members in Legislative Assembly with the Chief Minister at the head to aid and advice the Lt. Governor… primarily it says that it is to aid and advice the Lt. Governor in the exercise of his functions, in relations to matters with respect to which legislative Assembly has power to make laws. Other than three subjects that is Law and Order, Police and Land.'***

इन तीनों के अलावा सारे का सारा पॉवर चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के कंकरेंट है तो सरकार बाकी सारे मुद्दों पर इंडिपेंडेंटली फैसला ले सकती है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से किया गया कि ऐसे ऐसे मैं उसको लेना चाहूँगा जो पीडब्लूडी के और होम के मैटर्स थे। अध्यक्ष महोदय, पीडब्लूडी

डिपार्टमेंट ने जब ये लगाने का प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर 600 एलईडी स्क्रीन्स चूंकि सरकार और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल बन पाए, उसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर विस्तार करके 600 एलईडी स्क्रीन्स डिफ्रैंट लोकेशन्स पर जहाँ कि जनता उन इनफार्मेशन्स को पढ़ सकती है, लगाने का प्रयास किया गया। एक इफेक्टिव तरीके से सरकार अपनी बातों को जनता तक पहुँचा सकती, लगाने का प्रयास किया गया जिससे कि वो सारे इनफार्मेशन जो कि कभी नैचुरल डिजास्टर के समय, इमरजेंसी के समय पहुँचाएं जनता के पास, कास्ट इफेक्टिव तरीके से एन्वायरन्मेंटल फ्रैण्डली प्लेटफार्म के जरिए जब ये प्रयास किया गया तो एल.जी. महोदय का जो उस पर एक्शन रहा, वो बड़ा ही लज्जाजनक था। एल.जी. महोदय कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल को वापस भेजकर कहा कि भई, 'टु एड्रेस सम ऑफ द टैक्नीकल कन्सेन्सस बाई प्रिन्सीपल सैक्रेटरी(पीडब्ल्युडी),' संविधान में कहाँ लिखा है? ये रूल्स में कहाँ लिखा है? टीएफआर 49 कहता है कि अगर किसी सिंगल मिनिस्टर के व्यू प्वाइंट से एल.जी. महोदय राजी न हो तो 'द मैटर विल बी रैफर्ड टु काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स' और 50 कहता है कि अगर काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स के व्यू पाइंट से एल.जी. महोदय राजी न हों, 'द मैटर विल बि रैफर्ड टु प्रैजीडैण्ट ऑफ इंडिया।' तो ये कहा लिखा हुआ है कि प्रिन्सिीपल सैक्रेटरी (पीडब्ल्युडी) विल बी कन्सलटेड नाउ। भई, विजडम ऑफ द गवर्नमेंट का आप फैसला करेंगे? जब जनता ने मेन्डेट दिया है सरकार को। अध्यक्ष महोदय, संविधान कहता है कि ***L.G. enjoys his office during the pleasure of the president and president surely works with aid and advice of the council of ministers of the centre, so ye LG does not enjoy the confidence of the people of Delhi.***

तो ये एल.जी. महोदय को किसने अधिकार दे दिया कि भई जो सरकार फैसले ले रही है जनता के लिए, जिसको जनता ने ट्रस्ट किया है, उसके फैसलों को इस तरह से तोड़ मरोड़कर के आगे भेजेगी? ये तो असंवैधानिक है, अनकॉस्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है।

अध्यक्ष महोदय, और जिस तरह का डिले है, इसके अंदर भई, सरकार ने फरवरी 2016 में इसका फैसला लिया और 12/2/2016 को सेक्रेटरी को भेज दिया। उसके बाद पाँच डिपार्टमेंट के व्यू प्वाइंट्स को लेते हुए इसको 16/8/2016 को भेजा गया मंत्री महोदय को और फाइनली 13/10/2016 को ऑनरेबल एल.जी. को चला गया। उसके बाद 24/1 मतलब... करीब करीब तीन महीने बाद एल.जी. महोदय कहते हैं कि नहीं प्रिंसिपल सैक्रेटरी (पीडब्लुडी) इसमे टेक्निकल कंन्सर्न्स को देखें और जब कि वो सारे टेक्निकल कंन्सर्नस केबिनेट ने आलरेडी डिसाइड कर चुके थे। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 22/3/2017 को प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने अपने आब्जर्वेशन्स को सब्मिट कर दिया, फिर अब क्या होता है कि विद द लैप्स ऑफ टाइम वो टेंडर लेप्स हो गया और फिर ये मामला ठण्डे बस्ते में चला गया। तो जो सरकार चाह रही थी कि इन्फार्मेशन कम्युनिकेट करने का एक दिल्ली के अंदर तरीका बने स्क्रीन्स लगे, जनता को सूचना पहुँचे इफेक्टिव तरीके से, उसको खात्मा कर दिया गया।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, होम डिपार्टमेंट के अंदर जब ये चूँकि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनी तभी हाईकोर्ट ने एक इच्छा जाहिर की, अपने आर्डर के माध्यम से बताया कि भई पेट्टी ऑफैन्सेज जो हैं, उसको खत्म करने का कोई तरीका निकाला जाए। अब उस तरीके को निकालने के लिए उस वक्त की केन्द्र की सरकार ने एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी बनाई और वो जो पालिसी बनाई, उसका मुख्य बिन्दु ये था कि चूंकि गवर्नमेंट इज

द बिगेस्ट लिटिगेटर, गवर्नमेंट जो है हर कोर्ट के अंदर मिला–मुलाके बिगेस्ट लिटिगेटर है। छोटे छोटे मुकद्दमे सालों साल चलते हैं और जैसा आज गौतम जी ने अपने वक्तव्य में कहा, करीब 30 से 35 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको कि अगर इफेक्टिव काउंसलिंग मिल जाए, इफेक्टिव आज उनको लीगल असिसटेंस मिल जाए तो वो जेल के बाहर आ जाएंगे। तो उन मुकदमों को उन पेट्टी ऑफेन्सेज को खत्म करने के लिए एक पॉलिसी बनी जिसका नाम रखा गया नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। अब उसके तहत हर सरकार का दायित्व था कि छोटी छोटी कमेटी बनाकर के उन पेट्टी आफेन्सेज को खत्म कर दें, एक्सपीडाइट कर दें। दिल्ली के अंदर ऐसी एक ही कमेटी बनी जिसके सदस्य बने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) उसके चेयरपर्सन बने। सेक्रेटरी (लॉ एंड जस्टिस) एसीपी (क्राइम) और डायरेक्टर (प्रोसिक्यूशन) इसके मेंबर बने। अब सरकार ने फैसला किया कि चूँकि जिस गति से ये एक कमेटी फैसला ले रही थी पेट्टी ऑफेन्सेज को खत्म करने के लिए वो गति बहुत धीरे थी और बहुत ही थोड़ी थोड़ी संख्या में वो खत्म कर पा रही थी।

अक्टूबर 2015 में बहुत छोटी संख्या में 4000 केसेज जो पेंडिंग थे उसको खत्म कर पाई इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि ऐसी 11 कमेटियाँ बनें। ऐसी 11 कमेटियाँ बनें जिससे कि पेट्टी ऑफेन्सेज जल्द से जल्द खत्म हो पाएं। लेकिन क्या हुआ, ढ़ाक के तीन पात। एल.जी. महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये फाइल भेजी गई थी एल.जी. महोदय को 2015 में और एल.जी. महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। इसमे ध्यान देने वाली बात अध्यक्ष महोदय, ये है कि लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, पुलिस तो भले ही हमारे पास नहीं है। लॉ एंड आर्डर भले ही हमारे पास नहीं है लेकिन सीआरपीसी हमारे पास है। आईपीसी हमारे

पास है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर आइटम–2 में सीआरपीसी अब हमारे पास है तो उसके तहत सरकार के पास पॉवर है, ये असेम्बली के पास पॉवर है कि वो प्रोविजन्स बनाए जिसके तहत इस तरह के काम हो सकें। लेकिन न संवैधानिक अधिकार एल.जी. महोदय के पास है, न टीवीआर के अंदर अधिकार उनके पास है लेकिन फिर भी उन्होंने इतने इतने अच्छे प्रपोजल को जिसके तहत दिल्ली के अंदर जेलों के अंदर जो बढ़ती हुई भीड़ है, उसको कम कर सकते थे, उसको खत्म कर दिया। दूसरा बहुत बडा एक मुद्दा था जिसके हम सारे साथी सफरर हैं; थाना लेवल कमेटी। अध्यक्ष महोदय, जब 49 डेज की सरकार थी जब फर्स्ट टर्म में हम आए थे, उस वक्त हम सारे विधायकों के पास थाना लेवल कमेटी हुआ करती थी और थाना लेवल कमेटियों के जरिए जनता और पुलिस के बीच में जो मिस्ट्रस्ट है, जो डिस्ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डैफिसिट है, उसको ब्रिज करने का प्रयास हमने किया। हमने आरडब्ल्यूए को इन्वॉल्व किया, हमने मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन को एन्वॉल्व किया, हमने स्टूडेंस को इन्वॉल्व किया, लेबर को इन्वॉल्व किया, वूमैन ऑर्गेनाईजेशन को इन्वॉल्व किया और बहुत तरीके से इन्वॉल्व करके जो थाना लेवल कमेटी बनती थी, उसकी मिटिंग के दौरान क्षेत्र का विधायक जो उसका चेयरमैन हुआ करता था, वो पुलिस से पूछता था कि भई ये वाला केस अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुआ, वहाँ के क्राइम का रेट क्यों बढ गया, वहाँ पर पब्लिक लैंड क्यों एन्क्रोच हो रहा है, अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। इस बार जब 2015 में हमारी सरकार बनी, जब हम लोग चुन कर आए तो एल.जी. महोदय ने थाना लेवल कमेटी बनने ही नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? साथ में एक ही नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन एक है। एक नोटिफिकेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनती है और थाना लेवल कमेटी भी बनती है। तो एक नोटिफिकेशन का 50 परसेंट तो एक्शन में कर दिया उसके तहत डिस्ट्रिक्ट

लेवल कमेटी बना दिया। लेकिन थाना लेवल कमेटी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सातों के सात एमपी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के इन्चार्ज बनेंगे जो कि भाजपा के हैं। जब 67 एमएलए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के है तो एल.जी. महोदय नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक ये जान सके कि भई किस तरह से दिन दुगना रात चोगना ये सम्पति बढ़ रहा है पुलिस अधिकारियों का, किस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, किस तरह से लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, किस तरह से उसको ब्रिज करने का प्रयास करें। तो इस सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार ने 6 अक्तूबर 2015 को पहली बार भेजा उसके बाद 18/4/2016 को एल.जी. महोदय ने फैसला कर लिया कि जी, हम थाना लेवल कमेटी को नहीं बनाएंगे। कितने महीने बाद? छः महीने बाद। छः महीने बाद ये फैसला लिया कि हम थाना लेवल कमेटी नहीं बनाएंगे और 20 मई 2016 को एल.जी. महोदय ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन करने का फैसला किया, विद इफेक्ट फ्रॉम 22/8/2016 और थाना लेवल को निरस्त कर दिया। उसके बाद सरकार के पास कई ऐसे रिप्रजेंटेशन्स आए, बहुत सारे कम्पलेंटस आए हम विधायकों ने भी लिखा तो 01/09/2017 को फिर हमारे गृह मंत्री महोदय ने एल.जी. महोदय के पास भेजा कि भई, इसको बनाया जाए। चूंकि इसकी बहुत जरूरत है और इसे भी एड्रेस न किया गया और तब से ये पेंडिंग है। तो हमारा तीन साल निकल गया है और थाना लेवल कमेटी का कोई अता पता नहीं है। ऐसे जो एसीपी, डीसीपी एकाउंटेबल नहीं है, हमें हमारे फोन्स को रिस्पोंड नहीं करते हैं। दिल्ली के अंदर विधान सभाओं के अंदर क्राईम रेट बढ़ता जा रहा है। जनता हमसे पूछती है, हम किसको पूछे अध्यक्ष महोदय? तो ये इस तरह से जो एल.जी. महोदय ने हमारी सरकार के साथ और हमारे साथ जो धोखा किया है और भाजपा

की कठपुतली बनकर काम करने का एक प्रयत्न किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं अध्यक्ष महोदय।

ज्यूरीज़ प्रूडेंस के अदंर अध्यक्ष महोदय, राइटस ऑलवेज कपल्ड विद ड्यूटीज। अधिकार कर्त्तव्य के साथ आता है। अगर आप कहते हैं, हमारे पास अधिकार हैं फैसला करने का तो कर्त्तव्य भी आपका ही बनता है और इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्लीवासियों को मालूम पड़ गया कि भई अगर ये काम नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण एल.जी. महोदय हैं जो कि भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। और जो तीन डिपार्टमेंटस मैं चाह रहा था, अगर हो सकता, अगर वो सम्भव था लेकिन चूँकि वो डिपार्टमेंटस हमारे पास नहीं हैं लेकिन मैं कुछ तथ्य लेकर आया हूँ; डीडीए विकास सदन के पास है, एल.जी. महोदय के पास। अब डीडीए की क्या स्थिति है? डीडीए के अंदर वो चेयरमैन हैं। यूडी मिनिस्ट्री के अण्डर आता है। अभी कल मालूम पड़ा कि टॉप रेंक का ऑफिसर डीडीए का ब्राइब, लेते हुए पकडा गया। टॉप रेंक का मि. जेपी अग्रवाल। और चार लाख रुपए लेते हुए पकडा गया। मतलब आप कह सकते हैं, टॉप रेंक ऑफ ऑफिसर्स तो एल.जी. साहब के बाद वीसी है और वीसी के बाद वो है तीसरे नम्बर पर। साथ में मीटिंग्स में बैठते हैं। अब अगर टॉप रेंक ऑफ ऑफिसर्स करप्शन में सम्मिलित हैं तो क्या एल.जी. महोदय की जवाबदेही दिल्ली के प्रति नहीं बनती है? अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बाकायदा कहा और कहा कि 42 हजार एक दो नहीं, 42 हजार एकड़ लैंड जो है डीडीए का, एन्क्रोच्ड है। अध्यक्ष महोदय, मै जजमेंट पढ देता हूँ, ***'The court initiated so-moto proceedings in public interest on 21st of April 2005 due to a news paper report that DDA was unable to secure it's land and that a large extent of upto 40 to 1000 acres was either enchroched or***

not taken possession of…' इतनी बड़ी मात्रा में लैंड को अपने इन्क्रोचर पर छोड़ रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमने बाकायदा पर्टिकुलर फीचर्स दिए है उनको। जो डीडीए उनके पास है, उसका भी आउटकम रिपोर्ट आना चाहिए ना कि जिस तरह से लैंड मैनेजमैंट आपके पास है, लैंड का पॉवर आपके पास है, दिल्ली सरकार मांगती है, लैंड स्कूलों के लिए नहीं देते। हॉस्पिटल के लिए लैंड मांगते हैं आपके पास नहीं देते। तो ये जो डिपार्टमेंट लेकर बैठे हो, उसका भी तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आओ, दिल्लीवासी जानना चाहते हैं। आपने कहाँ तक इन्फॉर्म किया।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जब ये पुलिस इनके पास है। हम सब रोज पढ़ रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है किस तरह से दिल्ली के अंदर बलात्कार बढ़ रहा है, मर्डरस बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय, बाकायदा 2017–18 का रिपोर्ट है, इसमें कह रहा है कि 12 परसेंट दिल्ली के अंदर क्राईम का रेट बढ़ा है लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि दिल्ली सेफ है। इसका कौन देगा अब आउटपुट?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए इस बात को संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि...

माननीय अध्यक्षः सोमनाथ जी कन्क्लूड करिए, कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः कि ये इस तरह से माननीय सिसोदिया जी ने इस बात को सदन के पटल पर रखा और सदन के जरिए पूरी दिल्ली में बात पहुँची कि इन विभागों के अंदर जो प्रोजेक्टस हैं, वो क्यों लेट हो रहे हैं। डीडीए और पुलिस का भी आउटपुट रिपोर्ट आए इससे मालूम पड़े कि एल.जी. महोदय ने दिल्ली में डीडीए और पुलिस के जरिए दिल्लीवासियों का कितना भला किया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, केजरीवाल साहब बहुत समय का... क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था; प्रकाश सिंह का प्रकाश सिंह नाम से उसमें पुलिस कम्पलेंट अथोरिटी बहुत समय से बनाने का प्रयास चल रहा था। अब ये ग्यारह साल बाद चूँकि मुझे याद है कि जब सरकार ने प्रयास किया बनाने का तो कहा गया कि आपके ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसलिए आप नहीं बना सकते। तो ग्यारह साल बात ये 20 मार्च का मेरे पास न्यूज है जिसमें कहा गया है कि एक इन्डीपेंडेंट पुलिस कम्पलेंट अथोरिटी बनी है दिल्ली में लेकिन जिस तरह से बनी है उससे नुकसान ज्यादा है और फायदा दिल्ली वालों को कम मिलेगा। क्यों? सबसे पहले तो ये एक सिंगल टियर पुलिस कम्पलेंट अथोरिटी बनी है। जबकि बनना चाहिए था कि स्टेट के लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी। तो मैं आपके जरिए संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्तर्गत पुलिस कम्पलेंट अथोरिटी बननी है तो ढंग से बनाओ ना। एल.जी. महोदय से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भई, दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता के पास पुलिस के खिलाफ बहुत सी कम्पलेंट हैं और कम्पलेंट कैसी है, बताता हूँ मैं आपको। 2014 में दिल्ली पुलिस के खिलाफ 12872 कम्पलेंटस आए जिसमें कि विद द मैजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्टस रिसीविंग वेल ओवर 50 कम्पलेंटस ईच... अब अगर एक सिंगल पीसीए बनाएंगे स्टेट के लेवल पर तो इतने ज्यादा कम्पलेंटस कहाँ से हैंडल हो पाएंगे? तो इससे एक हाथ से कर रहे हैं और एक हाथ दे रहे हैं, एक हाथ से ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस देश के अंदर सबसे बडा कंटिंजेंट है जिसके पास 82 हजार पर्सनल हैं और 13 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके प्रोविजंस में बदलाव करिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी पीसीए बनाइए और

सेकण्ड अध्यक्ष महोदय, सेकण्ड इसमें जो रेस्ट्रिक्शन रख दिया, कहा कि जी, कम्पलेंटस केन ओनली बी रिसीव्ड फ्रॉम विक्टिम, समवन ऑन द बेहाफ ऑफ विक्टिम ऑर एनएचआरसी और अगला जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो हास्यास्पद है कि एल.जी. और चीफ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी कर सकता है कंप्लेंट। एल.जी. कर सकता है कंप्लेंट तो सीएम नहीं कर सकता है, मंत्री नहीं कर सकता है, एमएलए नहीं कर सकता है। ये बड़ा गजब का हो गया! भई कंप्लेंट करने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना। तो वही इसके अंदर कहा गया है अध्यक्ष महोदय, कि ***there is no justification for restrictions on who can submit a complaint. This should be amended in the notification and*** उसे... और एक मुसीबत खड़ी हो गयी कि जो भी कंप्लेंट करेगा, वो एक एफिडेविट के ऊपर करेगा। अब अगर जो गरीब आदमी है, वो पुलिस के खिलाफ ऐफिडेविट के ऊपर कंप्लेंट करने से डरेगा कि भई क्या पता, किस तरह से घुमा दें और क्या मुसीबत खड़ी हो जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए गुजारिश करना चाहता हूँ एल.जी. महोदय को कि तनिक इसका भी ख्याल करें कि दिल्ली पुलिस और डीडीए जिस तरह से लैंड के मामले, में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्लीवासियों को ठग रही है, दिल्लीवासियों के साथ धोखा कर रही है, उसका भी आप संज्ञान लें और हो सके, मैं फिर से अपील कर दूँ आपके जरिए जैसा सौरभ जी ने कहा, वो देखते हैं हमारे स्पीचिज़ को, तो आप हाथ जोड़के विनती करता हूँ कि कृपया करके आउटपुट रिपोर्ट डीडीए का भी और पुलिस का भी ले आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्षः माननीय उप मुख्य मंत्री मनीष सिसोदिया जी कुछ कहना चाहते हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी एल.जी. की आउटकम रिपोर्ट कार्ड पे भी चर्चा चल रही है और मैं आज की लिस्ट में भी देख रहा हूँ कोई और मुद्दे भी इसमें शामिल हैं और अभी कई सदस्य लगता है, बोलने के लिए भी रह गए हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सातवें सत्र की बैठक शुक्रवार दिनांक 6 अप्रैल, 2018 तथा सोमवार 9 अप्रैल, 2018 को भी आयोजित की जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है; (प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और पारित हुआ।) तदनुसार विधान सभा के सातवें सत्र की बैठक शुक्रवार दिनांक 6 अप्रैल 2018 तथा सोमवार 9 अप्रैल, 2018 को भी होगी। सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे कल दिनांक 6 अप्रैल 2018 को उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख (नियम–280) के मामलों के नोटिस कल पूर्वाह्न 11 बजे तक विधान सभा सचिवालय की नोटिस ब्रांच में दे सकते हैं। अब आधा घंटा टी ब्रेक।

सदन अपराह्न 5.27 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय उपाध्यक्षा (सुश्री राखी बिड़ला) पीठासीन हुईं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: बताते हैं शांति बनाए रखिए। बताते हैं, बैठिए। पहले बैठिए तो।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः आप लोग बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः मेरी माननीय सदस्यों से गुजारिश है, एक बार बैठिए। इस पर भी चर्चा करवाएंगे। एक बार अपना–अपना स्थान लें। राजेश गुप्ता जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः वो भी एल.जी. साहब के पास है ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बताते हैं, तनख्वाह कब बढ़ेगी, इस पर भी बताते है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः इस पर भी चर्चा कराएंगे। आप नोटिस दीजिए, चर्चा जरूर होगी। मौखिक रूप से चर्चा नहीं होगी।

माननीय उपराज्यपाल के कार्याल से संबंधित आउटकम रिपोर्ट पर चर्चा जारी...

श्री राजेश गुप्ताः धन्यवाद, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, मैं आपको एक आँकड़ा देना चाहता हूँ बड़ा डिफरेंट सा आँकड़ा मुझे ये दिखाई देता है, मेरे सारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को मानेंगे कि अगर आप 2013 से पहले देखें अपने घर के अंदर जो आप सामान लेकर आते थे तो मैंने ऐसा महसूस किया कि दो कम्पनिज

के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिकते थे, एक सैमसंग के और एक एल.जी. के और मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि 2013 के बाद में अगर देखें तो सैमसंग तो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, सैमसंग बढ़ रहा है बहुत तेजी से, एल.जी. नहीं बढ़ रहा, एल.जी. गिरता जा रहा है और ये सब मानेंगे। सबके पास आप देख लीजिए सैमसंग के फोन होंगे, एल.जी. के नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2013 के बाद में एल.जी. ने अपनी क्रेडिबिलटी खो दी। ये इंटरनेशल तथ्य है, नेशनल भी नहीं है और सिर्फ दिल्ली का नहीं है और मुझे तो लगता है एक डेफेमेशन का केस अब होने भी वाला है कि भई लोग एल.जी. के प्रोडक्ट तक नहीं ले रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है। जब हम सुनते है अक्सर, जब पहला अभिभाषण एल.जी. साहब का होता है और वो ये कहते है कि मेरी सरकार ने ये करा। मेरी सरकार ने ये करा। मेरी सरकार ने ये करा... तो मुझे बड़ा अचम्भा होता है क्योंकि जब आदमी किसी चीज में मेरी या अपनी लगाता है तो एक ऑनरशिप का भाव होता है कि ये चीज मेरी है, इसका मैं ध्यान रखूँ। अपने मकान को कोई नहीं तोड़ता। अक्सर लोग देखा है, सामाजिक संपत्ति को तो नुकसान पहुंचा देते हैं, अपनी को नहीं पहुंचाते हैं लेकिन वो ऑनरशिप का भाव वहाँ पर दिखाई नहीं देता और मुझे कहीं–कहीं वो एक राजेश खन्ना का गाना याद आ जाता है कि – 'चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए, उसे कौन बुझाए'

तो जिनकी सरकार है, जो ये कहते हैं कि सरकार मेरी है। मेरी सरकार ने ये काम करे, वो ही अगर सरकार के कामों के अंदर अड़चन डालेंगे तो उन कामों को आगे कौन पहुँचायेगा। अभी जैसे कि सौरभ भाई ने बताया था कल वो एनडीटीवी पर थे, मुझसे भी बार–बार आज तक पर ये सवाल पूछा जा रहा था कि जी, आपका तो इतने हजार करोड़ का घोटाला निकल

के आ गया, आपने इसमें क्या करा? लगातार इसी सदन से हमारे सारे साथियों ने बार–बार ये बात कही गई, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। अलग–अलग चीजों पर हमने सबने बात करी। लेकिन अगर हम उसकी बात करते हैं तो किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। और कमाल की बात देखिए अभी एक–डेढ़ महीने पहले कितना बड़ा बवाल बना, जी, हमारा झगड़ा हो गया, हमने किसी को ये कह दिया, किसी अधिकारी को सीएस को ये कह दिया। हमने चिल्ला–चिल्ला के कहा कि भई राशन के मुद्दे पर वो मीटिंग करी गई थी कि राशन नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन किस तरीके से उसको ट्विस्ट दिया गया, वो सब कुछ आपने देखा। हमने कहा कि भई सबसे अच्छा तरीका है राशन का कि घर पर पहुँचा दो, उन्होंने कहा ये सेफ नहीं है। मैंने इसी विधान सभा में पहले भी कहा था कि सबसे अगर कोई कॉन्फिडेंशल डॉक्यूमेंट होता है किसी का इंडिविजुअल तो मेरे हिसाब से वो पासवर्ड होता है और वो कैसे आता है घर पर, डिलिवरी होती है, घर पर आपके आकर दे दिया जाता है। सबसे आसान तरीका है लेकिन समझ में नहीं आया कि आटा कितना अनसेफ हो जाएगा अगर घर पर आएगा तो। कोई लूटकर खा जाएगा, कोई चोरी चकारी हो जाएगी, भई अपनी समझ से परे है।

अभी मुझे पता लगा कि एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई, पता नहीं कर ली है या करना चाह रहे हैं एल.जी. साहब। तो बड़ा अचम्भा है क्योंकि 3–4 महीने हो गए जिस दौरान हम डिस्क्वालिफाई भी थे तकरीबन उसी दौरान से दिल्ली की कुछ विधान सभाओं में पानी नहीं आ रहा, उसमें से एक मेरी विधान सभा है। मुझे क्योंकि अभी सोमनाथ भारती जी ने कहा था, वो हैं नहीं, तो मैं उनके तरीके से बोल देता हूँ कि ऑनरेबल एल.जी. साहब जिनका नाम अनिल बैजल जी है, तो ये दिल्ली बेजल है, पिछले तीन महीने से

दिल्ली बेजल है। एक प्रैस कॉन्फ्रैंस आपने करी कि हरियाणा सरकार पानी छोड़ दे। दिल्ली की सरकार आपकी है, आप कहते हैं, आप दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी हैं बल्कि मालिक बने बैठे हैं लेकिन आप इधर से उधर फाइल्स कर सकते हैं, आप इनकी सेलरी रोक सकते हैं जो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेलरी बढ़ा दो। आप सारी चीजें रोक सकते हैं, आप एक स्टॉपर हैं। मुझे तो ऐसे लगने लगा है और एल.जी. कम्पनी स्टॉपर बनाने लग जाएं तो बहुत बिकेंगे। आप सिर्फ एक स्टॉपर हैं कि चीज को रोक लिया जाए। लेकिन आपने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस या एक वक्तव्य टीवी के अंदर, अखबार के अंदर ये नहीं कहा कि भई दिल्ली में, 40 परसेंट दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, पहले अमोनिया का पानी आ रहा था अब वो पानी आना ही बंद हो गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए, आपने उस पर कुछ नहीं बोला लेकिन नहीं, प्रैस कॉन्फ्रेंस इस बात की हो रही है कि किसी ने उनके बारे में सदन में चर्चा क्यों कर ली। बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आती।

हिंदुस्तान के अंदर लोकशाही है, प्रजा का राज है अगर भारत सरकार कोई कानून बनाकर राष्ट्रपति जी पे भेजती है और वो वापस लौटाते हैं हालांकि मेरी समझ में तो सिर्फ कलाम साहब के टाइम पर ऐसा हुआ था कि उन्होंने वापस भेजा था लेकिन दुबारा भेज दिया तो उन्हें भी साइन करने पड़े। उन्हें करना ही होता है, ही शेल... बिल्कुल साफ–साफ लिखा है। लेकिन दिल्ली के अंदर लोकशाही नहीं बची क्योंकि हम लोगों को रेप्रेजेंट करते हैं लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। न सीएम साहब की कोई बात सुन रहा लेकिन एल.जी. साहब को, जिनको नुमांइदा, इलैक्टिड नहीं जो सलेक्टिड है, उनको बनाकर भेजा गया है कि बस आप किसी चीजों को, किसी तरीके से रोको। अब क्योंकि मैंने एक हिंदी पिक्चर की बात करी

तो मैं इंगलिश की भी करता हूँ कि स्पाइडर मैन मूवी के अंदर जो हीरो का किरदार निभाया है, जिसमें पीटर पार्कर बने, उसके अंदर जो उनके अंकल होते हैं वो उनसे कहते है कि– 'गेट पॉवर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिल्टी।' आपने सारी पॉवर अपने पास में रखीं, आपके पास में हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिल्टी नाम पर क्या करा।

पुलिस के बारे में हम सब जानते हैं, सारे साथी जानते हैं कि कभी–कभार पब्लिक इतने गुस्से में आ जाती है कि जी, हमारी चोरियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? सड़क पर छेड़खानियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है? और हमने बीट के लिए उनके लिए बाक्सेज बनाए, कभी–कभार तो अपने पैसे से ही बनाए क्योंकि वो तो बनाते नहीं। उसके बाद में उसके अंदर आदमी बिठाने का नहीं देते वो, कहते है जी, हमारे पास आदमी ही नहीं है। थाना लेवल कमिटी आपने खत्म करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी बनाई और उस कमिटी, उसके मेम्बर्स... देखिएगा, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चेयर से एक ऑर्डर जारी करें कि कम से कम ये पता लग जाए कि उसमें मेम्बर्स कौन–कौन है। मैं गारंटी देता हूँ, आपकी विधान सभा के, आपके जिले के सारे बीजेपी के पदाधिकारी उसके अंदर हैं और विधायक अकेला वहाँ पर जाकर बोल रहा होता है, उसके साथ के जो बाकी सारे लोग हैं, वो अपनी ही कहानी चला रहे होते हैं, अपनी ही व्यक्तिगत दुश्मनियाँ निकाल रहे होते हैं वहाँ पुलिस में बैठकर। डीसीपी खुद उसके अंदर नहीं आते, एडिशनल होते हैं हमेशा। मेरे को याद नहीं, आखिरी बार कब डीसीपी साहब खुद आए थे जो डीसीपी मेन होते हैं, हमेशा जो एडिशनल डीसीपीज होते हैं, वो आते हैं। पूरी तरीके से पुलिस को ऐसा बना दिया है कि सिर्फ तीज त्यौहारों के ऊपर, रामलीलाओं के अंदर या कभी कोई और किसी भी धर्म का कोई जुलूस निकल रहा हो तो पुलिस वहाँ चार डंडे लेकर खड़ी

हो जाए या फिर रिऐक्शन के तौर पर पुलिस आए कि दंगा हो जाए, लोग मर जाएं तब पुलिस वहाँ पर आकर इकट्ठी होंगी, 'हाँ, भैया किसका सिर फूट गया, अब दोनों को अंदर कर दो, बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमारा भी भला हो तुम्हारा भी भला हो।' इसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं रह गया।

सेम काम सर्विसेज का है। पहले ही इस पर बात हो चुकी है कि सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा सर्विसेज का कोई काम बचा नहीं है कि इधर से उधर उठाओ। हम बात कह– कहकर थक गए कि अधिकारी, लोग हमसे कहते हैं, आपने क्या करा? कल वो टीवी पर भी पूछ रहे थे जब आप कह रहे हो अधिकारी भ्रष्ट है, तो आपने क्या करा? क्या करें? हम कहते हैं, ट्रांसफर कर दो, तो ट्रांसफर नहीं करते। हम कहते हैं कि भई ये आदमी ठीक नहीं है, सही आदमी को लगाओ, तो लगाते नहीं हैं। हाँ, जो आदमी अच्छा काम करे। उसके लिए सिर्फ अंडमान–निकोबार की टिकट बन जाती है फटाफट, के भईया, तू अंडमान–निकोबार पहुंच जा। तू दिल्ली सरकार के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आपकी भी ठीक कुर्सी के नीचे भी एक सज्जन बड़ा अच्छा काम कर रहे थे पता नहीं कहाँ हैं वो। मुझे भी नहीं पता आजकल, बड़े परेशान हैं वो। इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं और लैंड के बारे में सभी को मालूम है कि आप हॉस्पिटल के लिए माँगिए, आप स्कूल के लिए मांगिए तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बीजेपी का दफ्तर बनना है, वो तो शानदार दफ्तर बन जाये। जब कि उनका एक दफ्तर पहले भी था यहाँ पे लेकिन दिल्ली की चुनी हुई सरकार का दफ्तर था तो आपको याद होगा कि पीडब्लूडी के सेक्रेटरी ने लिख दिया, इसको खाली कर दो। और किसने लिखवाया उनसे? दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए दफ्तर नहीं है वो तो कोर्ट के माध्यम से

वो आपको वापिस मिला। मैं कल भी ये टीवी पे बोला था कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार ने इतना करप्शन करा है जो काँग्रेस, बीजेपी वाले कह रहे थे, हालाँकि उन्हें भी पता है कि सब बकवास है, मजाक है। तो एसीपी इनके पास में, हमारे पास तो है नहीं। पुलिस इनके पास में और उसके ऊपर सीबीआई इनके पास में। जो उन्हें करना है, कर लें।

अब मैं एक थोड़ा सा तथ्य पे जा रहा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो कल हमने आउटकम बजट पेश किया, उसके ऊपर था। उसमें एक चीज थी 'डोर स्टेप डिलिवरी आफ पब्लिक सर्विसेज।' हम सभी साथी जानते हैं कि 40 सर्विसेज ऐसी थी फर्स्ट फेस के अंदर जो हम चाहते थे, घर–घर पहुँच जायें। उसमें एनओसी थी, एससीएसटी सर्टिफिकेट्स थे, डोमीसाइल सर्टिफिकेट्स थे, मोस्टली वो चीजें थी जिनके लिए लोग बेवजह परेशान होते हैं। इधर से उधर धक्के खाते हैं। कई लोग बेचारे एमसीडी का काम होता है, लेकिन विधायक के पास आ जाते हैं क्योंकि एमसीडी वाले तो मिलते नहीं। और हम उन्हें समझाते रह जाते हैं। हमने कहा, भई ये काम हो जाए और सैकंड फेस में तीस और चीजों को लेके आना था लेकिन हुआ क्या उसका? उसको रोका गया। रोका गया क्या, उसे डिक्लाइन कर दिया गया। और रीज़न क्या दिया गया, बड़ा मजेदार है आप साथियों ने शायद पढ़ा हो कि इससे ट्रैफिक जाम हो जायेगा!

माननीय अध्यक्षाः राजेश जी, कन्क्लूड कीजिए, प्लीज।

श्री राजेश गुप्ताः इससे ट्रैफिक जाम हो जायेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि हम दस लोग अगर किसी चीज को लेने जायें तब भीड़ होगी या एक आदमी उसकी होम डिलीवरी 10 चीजों को रखके हमारे पास में कर दे तो भीड़ होगी। ऑबवियस बात थी कि एक आदमी इस क्षेत्र के अंदर से डिलीवरी करता तो ज्यादा आसान होता लेकिन उसको रोका गया।

उसको जब मीडिया में जबरदस्त कवरेज चली एक नेगेटिव कवरेज हुई इसके ऊपर और... बल्कि मुझे याद है कि जितनी भी डिबेट्स जिसमें मैं गया था, लगातार काँग्रेस और बीजेपी के लोगों ने यह कहा कि अच्छी चीज है लेकिन आप करोगे कैसे? वो बाद की बात है। पर सबने ये कहा प्राईमरिली सबने कहा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है कि लोगों को घरों के ऊपर ये सर्विसेज मिल जायेंगी। मुझे कोई डिबेट याद नहीं आई, जहाँ लोगों ने मना किया हो। खैर ये रिसब्मिट हुई और बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, फाइनल एप्रूवल मिल गया लेकिन उसमें अच्छा खासा डिले हुआ। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडरशिप फेलोज प्रोग्राम था जिसके अंदर एक कोशिश करी गई कि पूरे हिन्दुस्तान भर से जो अच्छे–अच्छे दिमाग हैं, वो हमारे काम आये। वो दिल्ली की सरकार के लिए काम करें लेकिन उसको रोका गया कि नहीं, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर दोबारा से भेजा गया और कितनी मजेदार बात है कि उसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट, सर्विसेज, प्लानिंग, फाईनांस, टीटीई डिपार्टमेंट सबसे बात करके फिर भेजा गया उनको। तो उसमें भी उन्होंने एक अड़चन लगा दी कि इसमें एक काम करो जी, एक रिटर्न टैस्ट ले लो। अब एक बात बताओ जो दिल्ली के अंदर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डीएसएसबी जो हमारा बोर्ड है जहाँ 30 हजार नौकरियाँ खाली पड़ी हैं उनके तो इंटव्यू करवा नहीं पा रहा वो और इस तरीके के रिटर्न टैस्ट के लिए क्या उसके पास मैनपॉवर, ये रिर्सोसेस हैं। लेकिन कुल मिलाके उन्होंने इतना टाइम ले लिया कि वो एक तरीके से स्कीम खत्म हो गई।

अब मैं एक आखिरी चीज पे आता हूँ; टाउन वैंडिंग कमेटिज। हम सब ने बहुत कोशिश करी उसके लिए क्योंकि रेहड़ी–पटरी वाले भी बड़े परेशान रहते थे और रेहड़ी पटरी एक अजीबो–गरीब तरीके से लग जाती हैं।

कभी–कभी क्षेत्रों में तो उससे लोग भी परेशान होते हैं। तो हमने उसके लिए कोशिश करी कि भई, उसके अंदर कुछ चेंजेज़ करे जायें। तो उन्होंने कहा कि चेंजेज़ की जरूरत क्या है। फिर उनकी ईगो आगे आ गयी। कहते हैं, पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। क्योंकि मेरे से पहले वाले एल.जी. साहब ने उसको बनाया था तो पहले मुझसे पूछो। खैर कोई बात नहीं, फिर बात करी। ठीक–ठाक करके के जैसा वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट से पूछो, वहाँ से पूछ लिया फिर उनको वापिस भेज दिया कि अब इसको देख लो। उसके बाद में हाई कोर्ट के डिसिजन के बाद में फिर उसमें कोई चेंजेज़ करे गये। उनके पास भेजा गया तो उनका अबकी बार में क्या उनका कहना था कि इसमें पुलिस के लोग कम हैं। अब रेहड़ी–पटरी वालों से अगर पूछोगे भईया, सबसे ज्यादा परेशान किससे हो? तो पुलिस वालों से। तो पुलिस वाले ही बढ़ा दिए तो इस कमेटी का मकसद ही क्या रह गया। और एक बार फिर उसमें जबरदस्त देरी हुई तकरीबन एक साल की देरी उस वजह से हुई। मेरा ये कहना है, मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए, अभी हम सब लोग बाहर भी बात कर रहे थे कि वो एक संविधानिक पद पे हैं और बहुत बड़े पद पे हैं। हम उनका सम्मान भी करते हैं लेकिन सम्मान एक तरीके से छीना नहीं जा सकता। दैटस टू बी अन्र्ड ये नहीं है कि आपने शोर मचा दिया कि नहीं, मैं इस पद पे हूँ तो आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे इज्जत दो। आप उस पद पे बैठे हैं, इस पद की आपकी गरिमा है। हम आपको इज्जत दे रहे हैं लेकिन उस इज्जत को बचाए रखना आपके हाथ में है। अगर मैं एक विधायक होने के नाते अपनी विधानसभा में गलत तरीके करूँगा, कामों को रोकूँगा, लोगों के मकान तुड़वाऊँगा तो लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि माननीय विधायक हैं। ये कहेंगे,

गुन्डा विधायक है। बद्दतमीज विधायक है। तो उस सम्मान को अर्जित करना चाहिए और जैसे बाकी सबने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं भी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर, आपके पास में पॉवर है और आपको भगवान ने वो शक्ति दी है कि आप लोगों का भला कर सकें, कुछ दुआएं कमा लें। क्योंकि हो सकता है आप कभी देश के राष्ट्रपति बन जायें। जो चीजें कर रहे हो लेकिन उसकी संभावनायें 2019 को देखते हुए खत्म सी हो गई हैं वैसे भी। तो दुआएं कमा लें और लोगों को वो दें जिसका दिल्ली का हक है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षाः श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को आज गुरूतेगबहादुर जी का प्रकाश पर्व है, उसकी बहुत–बहुत शुभकामनाएं और बहुत संजीदा एक टॉपिक है जिसपे डिस्कशन चल रहा है। जैसा राजेश भाई ने कहा, विद ग्रेट पॉवर कम्स ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली में हम लोग सत्ता में आये। 67 सीट्स दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपने विश्वास की तरह से दी। बहुत सारे वादे हम लोग करके आए लोगों से। लोगों के दर्द को हमेशा महसूस किया, जनता के दर्द को क्योंकि हमारी जो पार्टी बनी, वो जनता में से निकले हुए लोगों से बनी। कोई पुराने नेता नहीं थे और जो दर्द हम लोगों ने सहा, झेला या कभी ड्राईंग रूम में बैठके डिस्कस करते थे, उस दर्द को हम लोग सड़कों पे लेके आ पाये। उस के सॉल्यूशन ढूंढ़ने के लिए हम लोग चुनाव भी लड़े और ये विश्वास भी जनता का हम पे है कि जिन बातों को हमने रखा उनके सामने, जो परेशानियों को रखा, वो परेशानियाँ हम दूर कर पायेंगे। उसके लिए हम काम करते हैं, प्लान करते

हैं। हमारे बजट से नजर आता है कि किस तरीके से हम लोग शिक्षा पे स्वास्थ्य पे, पानी पे, बिजली पे काम कर रहे हैं। निरंतर प्रयास चल रहा है और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और जवाबदेही भी हमारी ही बनती है। जनता को... पर जब हमारे काम रोक दिए जाते हैं जिसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है, ये आउट कम रिपोर्ट जो। ये काम जो जनता के ही है, ये हमारे काम नहीं है, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी सरकार के काम है, ये जनता के काम हैं। ये जनता के लिए किए गए काम हैं। जनता के काम हैं, जनता से वादे करके आए थे, ये काम जितने रुके हुए हैं, जितने हर सफे पे जो लिखा हुआ है कि ये काम रोका गया है जनता का, ये जनता के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। ये जनता के साथ अन्याय होने का एक प्रूफ़ है ये। एजूकेशन, हॉयर एजूकेशन, लोन गारंटी स्कीम के ऊपर अन्याय किया जाता है। मिड डे मील में अक्षयपात्रा को लाने की कोशिश की कि बेहतर मिड डे मील बच्चों को मिल सके। उसके लिए अन्याय किया गया। ये पूरे का पूरा, सारा का सारा सिस्टम है जिसको हम बदलने की बात करते थे। उस सिस्टम को बचाए रखने की कोशिश है। ये सिस्टम चेंज न हो जाये, सुधर ना जाये। जो कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गाँधी जी ने कभी कहा था, मैं तो बहुत छोटा था पर मुझे तब भी सुनकर बहुत अचरज हुआ था और आज भी सोचता हूँ तो अचरज होता है कि रुपए में से सिर्फ पाँच पैसे इन्डीविजुअल तक पहुँचते हैं जिसके लिए वो स्कीम होती है। पर हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि वो रुपया का रुपया, पूरा का पूरा जनता तक पहँचे। अभी राशन के बारे में भाई ने बताया, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है कि स्कूटरों पे राशन लद के जा रहा था। जब हम राशन की मीटिंग बुलाते हैं तो लोग आते नहीं हैं। जवाब नहीं देते एक–एक साल तक मंत्री का। चेंज करने के लिए कहते हैं अधिकारियों को तो चेंज नहीं किया जाता।

अधिकारियों को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो कहा जाता है कि रात को क्यों की जा रही है ये मीटिंग। तब हम गला फाड़–फाड़ के कह रहे थे कि जो है, राशन के लिए मीटिंग होनी जरूरी है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा तो कोई न्यूज नहीं दिखा रहा था। हम गला फाड़–फाड़ के कह रहे थे कि राशन नहीं मिल रहा, लोगों को परेशानी हो रही है। इसके लिए बहुत सीरियसली काम होना चाहिए। तब कोई चैनल नहीं दिखा रहा था। आज जब सदन में मनीष जी ने सीएजी की रिपोर्ट रखी तो उल्टा सारे चैनल ऐसे चला रहे हैं जैसे उन्होंने कोई स्कूप निकाला हो, बड़ा ढूँढ़ के निकाला है। ये परेशानी है, हर विभाग में चलती आ रही है और इनके... ये आउटकम रिपोर्ट देखते हैं तो इससे पता चलता है कि किस तरीके की शह मिली हुई है, अधिकारियों को काम को रोकने की, काम को न करने देने की, काम जो गलत हो जाए, पकड़ में आ जाए, उसमें अधिकारियों को बचाने की, एक कोशिश है। हमेशा स्कीमें जो बनती हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं जो हमारी सरकार बनाती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि मिल के बनाते हैं, अब वो जनता तक पहुँचनी चाहिए, जनता को अवेयर करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि जनता उसको जानेगी नहीं तो...

अब हॉस्पिटल में सारे इलाज फ्री, सारे टैस्ट फ्री, अगर आप हॉस्पिटल में आप जाते हैं और आपको एक महीने से ज्यादा की डेट किसी भी ऑपरेशन की मिल रही है तो आप प्राइवेट में जाके कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगी? ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा दिल्ली सरकार का एक डीआईपी डिपार्टमेंट है जो एडवर्टिजमेंट देखता है; डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी। ये उनकी जिम्मेदारी है। पर अगर आप निकल जाएं, कहीं, कहीं आपने इसका टीवी में एड देखा है आपमें से किसी ने? किसी ने रेडियो

पे सुना है ये एड जो है, आपको सरकारी अस्पताल में एक महीने से ज्यादा की डेट मिल रही है, किसी ओपरेशन की तो प्राइवेट में करवा के देंगे, कभी सुना है किसी ने रेडियो पे किसी ने, वो इसी वजह से नहीं सुना कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा। ये चाहते नहीं कि जो स्कीमें जनता के लिए आ रही हैं, वो जनता तक पहुँचे, जनता इस बात को जाने, जनता इस बात को सुने। स्कीमें आएंगी, लोगों को नहीं पता चलेगा, तो यूज नहीं होगा, तो बात कैसे होगी ये राजनीति का बहुत निचला स्तर है कि जनता को किसी भी तरीके का फायदा नहीं पहुँचेगा तो जनता तो ऊंगली उठाएगी कि तुमने तो वायदा किया था, हम कहेंगे हमने तो कर दिया, वो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं चला, हमें पता नहीं चला। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब जिनके अंडर में ये मंत्रालय भी आता है और बहुत सारे मंत्रालय आते हैं, उन्होंने एल.जी. साहब को, नॉन कोओपरेटिव एटीटयूट जो रहा है डायरेक्टर ऑफ डीआईपी का, उसके लिए पत्र, एक बार नहीं कई बार लिखा, उन्होंने पत्र लिखा। जब फेसबुक लाइव एक बार वो करना चाहते थे, जीएसटी आया पिछले साल, केंद्र ने तो पटाखे भी चलवा दिए उसके ऊपर, सेलीब्रेट करवा दिया। ये टैक्स... और हम दिल्ली की सरकार जो भी आपसी मतभेद हो, पोलिटिकल मतभेद हो, पर उसके बावजूद दिल्ली की सरकार ने उसका स्वागत किया और कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से ट्रेडर्स के साथ इन्ट्रैक्ट करके उन तक ये बात पहुँचाई। उसकी के अंदर देखिए, टैक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। टैक्नोलॉजी... ये पार्टियों में जाने के लिए ही सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता कि अपनी फोटो खींची और डाल दी। सोशल मीडिया को अच्छा यूज भी किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया जी ने कोशिश करी की फेसबुक लाइव के थ्रू वो जीएसटी में ट्रेडर्स को सैंसिटाइज करने के लिए ट्रेडर्स के साथ इन्ट्रैक्ट करने के लिए इस मीडियम को यूज करें। उस पूरी की पूरी कोशिश को कैसे नाकाम किया जाए, इसकी साजिश

रची डायेरक्टर साहब ने। मनीष जी ने खत लिखा एल.जी. को, पिछले साल 7 जून को ये गलत है, कोऑपरेशन चाहिए, ये काम करने पड़ेंगे, आज तक कोई रिस्पांस नहीं है।

माननीय अध्यक्षाः कन्क्लूड करिए नितिन जी।

श्री नितिन त्यागीः कर रहा हूँ मैडम। अभी तो एक ही टॉपिक पे हूँ। उसके अलावा हर साल दो महीने, तीन महीने ऐसे निकलते हैं, जब हम सुबह से शाम तक डिबेट पे चैनलों पे ये रहते हैं कि डेंगू क्यों फैल रहा है, डेंगू की क्या वजह है, किसकी रिस्पॉन्सिबिल्टी है। हम एमसीडी को बोलते हैं, एमसीडी हमको बोलती है। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी काँग्रेस को, काँग्रेस सबको। इसकी अवेरनेस सबके अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताएं? सबको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और अवेयरनेस फैलाने का काम, जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है और दिल्ली सरकार जब ये एड देने के लिए कहती है तो ये एड नहीं दिए जाते, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, लोगों को सचेत करना, लोगों को जागरूक करना, ये इतना सीरियस मैटर है, इसे डेलीब्रेटली लोगों तक नहीं पहुँचाया जाता इन्फोरमेशन, एडस को रोका जाता है। इसके लिए मनीष जी चिट्ठी लिखते हैं। आज तक कोई जवाब नहीं आया। जब वैक्टरबॉर्न डिजीजिज के बारे में एक बार के बाद कोई रिस्पॉन्स एल.जी. साहब के पास से नहीं आया तो दुबारा चिट्ठी, ये ठीक से एडवरटाइजमेंट नहीं हो रहा, लोगों तक इन्फोमेशन नहीं पहुँच रही, लोगों को जागरूक कैसे करेंगे? पहला खत लिखा 13/6 को, कई दिन वेट करने के बाद 15/6 को फिर से खत लिखा, उनका एक साल होने वाला है, आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये बातें जब किसी चैनल पे बताई जाएंगी तो कहेंगे एल.जी. की वेट करते हैं, एल.जी. के बिना, अरे! जब एल.जी. के बिना नहीं हो रहा,

जब अधिकारी नहीं सुन रहा, अधिकारी को कह रखा है कि नहीं सुनेगा तो रिस्पॉन्सिबिल्टी किसी बनेगी? आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ किसी चैनल वाले ने, एल.जी. के किसी प्रतिनिधि को बुलाके डिबेट में बिठाया हो, ये पूरी की पूरी फाइल एक बार एल.जी. साहब के कार्यालय के किसी रिप्रजेंटेटिव को डिबेट में बुलाया और पूछे कि ये क्यों काम नहीं होते हैं ये सारे के सारे, क्यों दिल्ली की जनता को इतने सारी चीजों से वंचित रखा जाता है? बार–बार आम आदमी पार्टी से ही... क्योंकि जी, आपकी सरकार है, आपकी रिस्पॉन्सिबिल्टी बनती है, आप बताओ। अरे! हम बताते हैं, ये फाइल भेजी हुई है, एल.जी. नहीं कर रहे, क्या करें? आप तो एल. जी. का नाम ले देते हो, अरे एल.जी. वाले को बुला लो एक बार एल. जी. के यहाँ से ऑफिस से वो बता देगा, खुद तो डीडीए का काम नहीं संभल रहा, पुलिस का काम नहीं संभल रहा और जो दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, उसमें टाँग अड़ानी है। अगर ये एनर्जी सारी की सारी काम रोकने की डीडीए में और पुलिस में लगा दें तो दिल्ली एक बहुत बेहतर शहर बन सकता है। पर नहीं, पुलिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यूज नहीं दिखाई गई कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। हमारे एक विधायक को उसके घर में घुसकर पीट दिया गया चाहे दूसरे ही दल के सही, भाजपा का ही सही, पर एमएलए तो... हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी उनको घर में घुसकर पीटा, पुलिस पहुँचीं वहाँ पे तो पुलिस वाले को भी पीटा, ये तो पुलिस की हालत है, उन्होंने खुद ने बोला, ओम प्रकाश जी ने खुद ने ये बात बोली, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, घर में घुसके मारा। अगर ये हालत है लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली के अंदर तो एल.जी. साहब कर क्या रहे हैं वहाँ पे? अगर डीडीए की ये हालत है... मैं आपको अध्यक्षा जी, मैं आपको बताता हूँ, डीडीए का एक 1200 मीटर का लैंड है मेरे लक्ष्मी नगर क्षेत्र में जो मैंने कॉफी होम के लिए माँगा और

अब से नहीं तीन साल हो गए जीते हुए तीन साल से माँग रहा हूँ। कपिल मिश्रा जी पहले जब टूरिज्म मिनिस्टर थे तब उनके थ्रू काफी होम का लैटर भेजा। मनीष जी के थ्रू भेजा, वो आज तक लैंड नहीं मिला, मेरी मीटिंग हुई थी डीडीए में तो बताया वो पूरी की पूरी जो लाइन थी, वो एक 1200 मीटर का एक बचा है, उसके अलावा कम से कम कुछ एकड़ लैंड जो है, वहाँ पे कब्जा होके और लोगों के घर और दुकानें सब बन गई हैं, सिर्फ ये लैंड बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी पट्टी एक्चुअली कमर्शियल परपज के लिए थी और ये बाकी सारा एन्क्रोच हो चुका है। ये लैंड बचा हुआ है अगर ये लैंड हम आपको कॉफी होम के लिए देंगे, हमें इसका लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा उसके लिए पूरी की पूरी उसकी फाइल खुल जाएगी, हमारी बैंड बज जाएगी, ये शब्द थे मीटिंग में।

माननीय अध्यक्षाः नितिन जी, कन्क्लूड कीजिए, बहुत टाइम हो गया।

श्री नितिन त्यागीः मैं नजीब जंग जी से मिलने गया था। नजीब जंग जी से मैंने कहा साहब, कि सर, इतने दिन में मुझे ये समझ में आया, ***"It is very easy to encroach DDA land, but it is very difficult to get it for the benefit of the people.' He said, "I agree with you Mr. Tyagi."*** ये एल.जी. साहब ने कहा, ह्वेन ही वाज इन ऑफिस, उनके घर में मीटिंग पे हम लोग गए थे, तब मैंने उनसे ये बात कही। मतलब ये सब जानते हैं और जान के भी आँख बंद करके बैठते हैं, आँख बंद करने से इनका कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान जनता का होता है। जिसके लिए वो लैंड होता है, जिसके लिए राशन का काम, जिसके लिए राशन चाहिए, जिसके लिए एजूकेशन लोन चाहिए, ये सारी स्कीमें हैं, मेरा ये निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है एल.जी. साहब से, ये काम जितने सब रुके हैं, ये जनता की

भलाई के लिए हैं, ये उन्हीं लोगों की भलाई के लिए हैं जिनके टैक्स के पैसे से आपकी तनख्वाह आती है। हम लोगों के घर के काम नहीं हैं, हम लोग के पर्सनल काम नहीं है हो सकता है हम आपको बहुत बुरे लगते हैं, पर आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए इसमें राजनीति न करते हुए, फाइलों को ठीक से मूव करें, हम लोग साथ में मिल के दिल्ली की जनता के लिए काम करें। हो सकता है, कोई न कोई कसम नौकरी पे आने से पहले आपने भी खाई हो, हमने तो खाई थी यहाँ पे कॉन्स्टीट्यूशन की कसम। हो सकता है आपने भी खाई हो, उस कसम को ध्यान में रखते हुए और जिस कर्त्तव्य के लिए आप आए हैं, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसका ठीक से पालन करें, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षाः जगदीप जी।

श्री जगदीप सिंहः धन्यवाद राखी बहन, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षाः बस–बस, कोई बात नहीं।

श्री जगदीप सिंहः स्पीकर बहन भी हो सकती है।

माननीय अध्यक्षाः बस शांत। जी, जगदीप जी शुरु कीजिए।

श्री जगदीप सिंहः सर, आज का जो दिन है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज गुरूतेग बहादुर साहिब जी का प्रकाशोत्सव है। जिसके लिए बड़े–बड़े कलाम लिखे गए, उनके लिए लिखा गया, 'शीश दिया पर सिर ना दिया।' जिन्होंने अपना शीश कुर्बान कर दिया, देश की संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन अपनी बात से नहीं हटे और उनको ये भी

कहा गया, 'गुरूतेग बहादुर, हिन्द दी चादर।' मैं एक बार सारे विधायकों से आग्रह करूँगा कि ये इस लाइन को जरूर दोहराएं 'गुरूतेग बहादुर हिन्द दी चादर।' क्योंकि देश की संस्कृति को बचाने वाले ऐसे गुरू को अरबों बार नमन है जिसने न कि अपने पूरे परिवार को इस देश पर वार दिया और आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर भी एक फरमान लिखकर भेजा था कि आप मेरा धर्म परिवर्तन कर दीजिए, ये सब लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। 60 हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। उनके साथ... जिसमें बिल्कुल नए पैदा हुए–हुए बच्चे भी थे जो मौत के घाट उतार दिए गए थे। ये कुर्बानी थी, ये होता है देश प्रेम, ये होते हैं जो देश की बात करते हैं। देश को अपना मान–सम्मान, अपना घर, अपना परिवार मानकर चलते हैं। न कि जो आज यहाँ पर हो रहा है उस तरीके से दुःखद होता है कि ऐसे–ऐसे गुरू, ऐसे–ऐसे महात्मा और यहाँ इतनी बड़ी–बड़ी तस्वीरें लगी हैं ऐसे–ऐसे नेताओं की जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया। इस मंदिर में बैठे हुए हम बड़ी छोटी–छोटी बातें कर रहे हैं कि हमारा सीवर बह रहा है, हमारी नाली टूटी हुई है, हमारे यहाँ पर पानी लाना है, एक कैमरा लगाना है। मतलब आप सोचिए कि आप अपने घर देश या एक स्टेट एक परिवार की तरह होता है। जहां पर फादर–मदर उसकी केयर करते हैं। आप लोग जो आपके वोटर हैं, वो आपके बच्चों के समान हैं। आप उनका, परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको पूरी सहूलियतें दें। हम लोग बैठकर घर पर कभी भी ये चर्चा नहीं करते कि इस तरीके से हम लोगों ने छोटे–छोटे काम करवाने हैं। हम लोग घर में बड़ा काम करवाने के लिए भई, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें नए कमरे कैसे बनाने हैं, नया घर कैसे बड़ा करना है। आज सिक्योरिटी के लिए अगर कोई दिक्कत है तो हमें, कैमरे कैसे लगा रहे हैं, उन बातों पर चर्चा करते हैं न कि हमारी माता या पिता या हमारी दादी वो उस पर चंद बिन्दु या

क्या कहते हैं उसको क्वेश्चन मार्क लगाती है कि आप ये क्यों कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं? मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था यहाँ पर, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अस्पतालों में स्टाफ बढ़ाने पर प्रश्नचिन्ह लगाया एल.जी. साहब ने! कल रात की बात है, किसी के पिता को एकदम अटैक आ रहा था, लेकिन दीनदयाल अस्पताल ने, हमारे पास वार्ड बॉय नहीं है। उस आदमी में दम नहीं था अपने पिता को उठाने का लेकिन वो बस पिता मर रहा था इसलिए वो हाथों में किसी तरीके से उठाकर उसको वो लेकर आ रहा था। ये रात को दो बजे की बात है। एल.जी. साहब इस पर हमारे मंत्री महोदय को क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप स्टॉफ क्यों बढ़ा रहे हैं। ये छोटी–छोटी चीजों पर जो प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं, ये देश में बदहाली पैदा करने का इनका वो है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्र को खत्म करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। मजा आता कि मोदी जी एक बार जीतने बाद आज जितने बड़े बहुमत के साथ आए हैं, सारे विपक्ष की सरकारों को बुलाकर अपने साथ बिठाते, कहते कि ये लो अपने यहाँ के अस्पताल, कोर्ट, सड़कें, सीवर, पानी बढ़िया कर दो। इस देश को बहुत बढ़िया बनाना है फिर जहाँ पर भाजपा की सरकारें जीती हुई हैं उनको बुलाकर कहते कि हमने ये अपोजिशन की ड्यूटी लगा दी है। अब तुम इनसे रेस लगाकर दिखाओ, इनसे बढ़िया काम करके दिखाओ ताकि भाजपा का नाम ऊपर हो। ऐसी सोच होनी चाहिए थी। लेकिन सोच कैसी रखी गई दिमाग में कि एक उल्टी रिपोर्ट, आउटकम रिपोर्ट नहीं है ये, एक उल्टी रिपोर्ट बनाकर दूसरे को नीचा दिखाया जाए। ये नीचे दिखाने की रिपोर्ट है। जहां बाकी देशों में जीतने के बाद विपक्ष को भी साथ में लेकर उन आइडियाज पे इन्नोवेट किया जाता है कि अपने देश को कैसे दुनिया भर में मजबूत बनाया जाए। यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम मजबूती से जीतकर आए हैं, हम बाकी सरकारों को कैसे कमजोर करके दिखाएं, ये

सोचकर भाजपा चल रही है। ये बदनीयती है। मैं इस हाउस के माध्यम से अध्यक्ष महोदया, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये सोच सरकारों की अगर नहीं बदली तो शायद हिन्दुस्तान खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ पर बैठकर ये सोचना चाहिए था कि 300 लोग यहाँ से पैसा लेकर भाग गए। फ्यूचर में यहाँ से कोई आदमी एक रुपया न लेकर जा सके क्योंकि एक–एक आदमी बड़ी मेहनत से कमाई करता है। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को देख रहा हूँ सुबह से ऐसे बैठे हैं, अपने कमरे में इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तब जाकर इनको तनख्वाह मिलती है, अपने बच्चों को पालते हैं। इन्होंने बैंक में अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जोड़े होंगे।

माननीय अध्यक्षाः कंप्लीट कीजिए।

श्री जगदीप सिंहः लेकिन वो माल्या लेके पैसे चला जाता है और बाद में इन्हीं की जो सेविंग्स की जो इन्टरेस्ट है, उसमें काट लिए जायेंगे। इन पर टैक्स और ठोक दिया जाएगा और कहीं न कहीं, सबकी जेबों पर फर्क आएगा। हम लोग एक ऐसा सिस्टम इन्ट्रोड्यूज क्यों नहीं करते कि हम लोग अपने लॉ में अमेंडमेंट्स करें। जहाँ पर ये दिखाएं कि आगे से हमारे देश में चोरी कोई न कर सके। एक किसान को 50 हजार हम लोग कर्ज देते हैं, उसके घर पर 10 आदमी को भिजवा देते हैं, वो उसको खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन 11–11 हजार करोड़ रुपए लेके यहाँ से आदमी भाग जाता है, उस पर हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जहाँ पर हमारे देश की इकॉनोमिक जो हमारी वैल्थ है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें। हमारे पास... जो हमारे जो वीक पाइंट्स हैं उनको कैसे हम लोग स्ट्राँग बना सकें। आज अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको अच्छे से पढ़ाकर हम लोग बाहर 190 देशों में उनको काम करने के लिए भेजें ताकि इकॉनोमिक वैल्थ ज्यादा से

ज्यादा बढ़ा सकें। कलकत्ता, गुजरात में जो हमारी कपड़े की मिले बंद हो चुकी हैं, उनको धागा हम लोग गवर्नमेंट रेट पर प्रोवाइड करके यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए दें ताकि हमारा धागा जो है, वो चाइना यहाँ से खरीद–खरीदकर ले जा रहा है और वो कपड़ा बनाकर हमीं को वापस भेज रहा है। ये चीजें हम लोग यहाँ पर खत्म करें। इस चीज पर एल.जी. साहब हमारे विचार नहीं करते और वो सिर्फ ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे ठोका जाए बस, उनके दिमाग में यही चलता है। बस मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि हम अपने देश से प्यार करें, अपने राष्ट्र से प्यार करें और वाकई इस देश को अपना घर समझकर इसको और मजबूत बनाए, धन्यवाद जी, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्षाः अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 6 अप्रैल 2018 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्षा के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही शुक्रवार, 6 अप्रैल 2018 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।